



अखिल भारत
हिन्दू महासभा का मुखपत्र

साप्ताहिक हिन्दू सभा वार्ता

वर्ष- 41 अंक-32

कल्पादि सम्बत् 1972949117

सम्पादक

मुन्ना कुमार शर्मा

दिनांक 01 नवम्बर से 07 नवम्बर 2017 तक

कार्तिक शुक्ल द्वादशी से मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्थी 2074 तक

वार्षिक शुल्क 150 रुपये

पृष्ठ संख्या 12

हिन्दुओं के
सांस लेने...

पृष्ठ- 3

गर्मियों में
खरबूजे.....

पृष्ठ- 4

समृद्धि चाहिए
तो गंगा..

पृष्ठ- 5

हिन्दू अस्तित्व
और...

पृष्ठ- 8

गरीबी नही,
गरीब हटाने...

पृष्ठ- 12

- विकास की भूखी तरस्वीर
- रोहिंग्या मुसलमानों का विरोध आवश्यक
- भारत की धर्मनिरपेक्षता?
- भारतीय संविधान अक्षुण्ण था, अक्षुण्ण रहेगा
- गणतंत्र देश में जरूरी है समान नागरिक संहिता लागू करना

सूडान में तैनात भारतीय शांतिरक्षकों को
संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया
भारतीय शांति रक्षक दुनिया में सर्वश्रेष्ठ—हिन्दू महासभा

● संवाददाता ●

दक्षिण सूडान में तैनात ५० भारतीय शांति रक्षकों को संघर्ष प्रभावित देश में असैनिकों की रक्षा करने और टिकाऊ शांति कायम करने में उनके पेशेवराना अंदाज और सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है। भारतीय शांति रक्षक दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन यूएनएमआईएसएस का हिस्सा हैं। वे दक्षिण सूडान के जोंगलेई क्षेत्र में बोर में भारतीय बटालियन में तैनात हैं। उन्हें हाल में यूएनएम आईएसएस **शेष पृष्ठ 11 पर**



भारतीय सीमा में घुसे पाकिस्तानी नागरिक को मिठाईयां-कपड़े देकर भेजा वापस
सीमापार घुसपैठ पूरी तरह से बंद हो—हिन्दू महासभा

● संवाददाता ●

दिवाली के मौके पर बीएसएफ ने अंतरराष्ट्रीय सीमा से गिरफ्तार किये गये २२ वर्षीय पाकिस्तानी नागरिक को उसके देश वापस भेज दिया। पाकिस्तानी नागरिक को उपहार स्वरूप मिठाईयां और नए कपड़े भी दिए गए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस पाक नागरिक अली राजा को करीब पांच बजे आरएसपुरा सेक्टर में भारत की ऑक्ट्राय पोस्ट के देखने पर बीएसएफ की ७८ वाहिनी के जवानों ने पकड़ लिया। जवान ने अली को अंधेरे में सीमा पार करते हुए देखा था। बीएसएफ के अधिकारी ने कहा पूछताछ में पता चला कि वह अनजाने में सीमा पार कर गया है। इसकी पहचान मुहम्मद राजा अली निवासी गांव पसरूर जिला सियालकोट के रूप में हुई है। तलाशी लेने पर उससे ३७० रुपये पाकिस्तानी करंसी बरामद हुई। इसने बताया कि वह दर्जी का काम करता है और शराब के नशे में भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया। इसके बाद बीएसएफ ने पाकिस्तानी समकक्षों के साथ हॉट लाइन पर संपर्क स्थापित करने के बाद उसे उनके सुपुर्द कर दिया गया। अखिल भारत हिन्दू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश कौशिक, राष्ट्रीय महासचिव मुन्ना कुमार शर्मा एवं राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री वीरेश त्यागी ने केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह से मांग की है कि पाकिस्तान की ओर से भारत में आंतकियों के घुसपैठ को पूरी तरह से रोका जाये। हिन्दू महासभा नेताओं ने कहा है कि पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित आंतकी लगातार भारत की सीमा में अवैध रूप से प्रवेश कर रहा है उसे पूरी तरह से रोकने की आवश्यकता है।



असहायों की सेवा सच्ची सेवा है

श्रीशिवरतन मोरोलिया 'शास्त्री'

जीवन की मूल प्रेरणा है, परमार्थ और लोक कल्याण के लिए भाव भरा आत्मार्पण। मानव-समाज एक-दूसरे की सहायता पर ही निर्भर है। जीवन धारण करने से लेकर जीवन-यापन और समापन तक मनुष्यों को परस्पर सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। इसके अभाव में जीवन चल सकना सम्भव नहीं है। किसी की भलाई का जब कोई मूल्य अथवा बदला नहीं लिया जाता तो वह सुकृत्य परोपकार कहलाता है। मनुष्य के जीवन में एक बात अवश्य आ जानी चाहिए कि उसके पास विद्या, बुद्धि, सम्पत्ति, धन, भूमि, भवन, तन-मन तथा अपनी इन्द्रियों से जो कुछ हो सकता है, उसका उपयोग जहाँ-जहाँ इन वस्तुओं का अभाव है, वहाँ उन्हें लगाता रहे। यही पुण्य है, यही सत्कर्म है।

जिसके पास साधनों का अभाव है, जो शक्तिहीन हैं, सामग्रीहीन हैं और निर्बल हैं, इनकी सहायता करने का जीवन में समावेश हो जाये तो जीवन धन्य हो जाएगा। गरीबों की सेवा करना, यह भगवान की सेवा करना है। सेवा में भगवान की वस्तु को भगवान को ही समर्पण करने का भाव रहना चाहिए।

हमारा स्वभाव बन जाना चाहिए कि हमारी एकत्रित सम्पत्ति केवल भोगों में लगाने अथवा इकट्ठा करने के लिए नहीं है। हमारी शक्ति तथा वस्तुओं का उपयोग दुर्बल की रक्षा करने में होना चाहिए। हमें चाहिए कि जो निराश हो, उसके मन में आशा का संचार करें, पथभूलों को मार्ग बता दें, डूबते को उबार लें, रोते हुए के आँसू पोंछ दें। जिसका कोई सहारा नहीं है, जो अनाश्रित है, असहाय है, उसे यदि देने के लिए कुछ नहीं है तो उसके दुःख को पूछने से ही उसे शान्ति मिलेगी। दुःख को सुनने से भी उसे सहानुभूति प्राप्त होगी। जो अपने जीवन में ऐसा करता है, वही मनुष्य है। मानवता भरा है। असमर्थ, अनाश्रित, अनाथ का सम्मान भगवान का सम्मान है। दीन के साथ मधुर वाणी से आदरपूर्वक बोलना ही उसमें गौरव भर देता है। भगवान दैन्यों में ही बसते हैं। अतः जहाँ-जहाँ दैन्य मिले निरभिमानपूर्वक उनकी सेवा करनी चाहिए।

हमारे शास्त्र कहते हैं कि भोजन करते समय कोई भी आ जाये, वह जो भी हो, उसको भगवान का स्वरूप मानकर उसका सत्कार करना चाहिए। हमें गरीबों के दुःख को उनके अन्दर घुसकर स्वयं उनकी अवस्था में जाकर देखना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि यदि मैं उस अवस्था में होता तो मैं क्या करता।

प्राण-प्रण से दूसरों की सहायता करना, मानवता का प्रथम कर्तव्य है। परदुःख निवारण महान पुण्य है और परपीड़ा महान पाप, इसलिए गरीब को कभी न सतायें अगर आपके पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है तो उसे अच्छी बातें करके उसके मन को हलका करें।

जीवन का सार और सुख का दूसरों के कष्ट में सहायता कर प्रसन्नता अनुभव करने में ही है। मनुष्य पुण्य का फल सुख चाहता है, पर पुण्य नहीं करता और पाप का फल दुःख नहीं चाहता, पर पाप नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए सुख नहीं मिलता और दुःख भोगना पड़ता है। अतः सुखाभिलाषी को चाहिए कि वह सत्कर्म करे, सेवा करे।

किसी की निन्दा करना, किसी का अनिष्ट सोचना, किसी का दिल दुखाना, किसी को सताना उस अन्तर्यामी भगवान की अवहेलना है। मानवता का आदर्श है-बुराई करने वालों के प्रति भी भलाई करना, उनके प्रति द्वेष का भाव न रखना, सतत मैत्री का भाव रखना।

जो मनुष्य दूसरे का बुरा करके अपना भला चाहता है, वह बहुत ही भूल में है। अपनी सच्ची भलाई तथा अपना यथार्थ हित उसी में है, जिसमें दूसरों की भलाई हो, दूसरों का हित हो। परोपकार और सेवा की भावना हमें उन्नति के पथ पर ले जाती है।

साप्ताहिक राशिफल

मेष : इस सप्ताह कुछ लोगों के मन में समाजवाद की भावना उत्पन्न हो सकती है जिसके फलस्वरूप मन चिन्तित रह सकता है। कुछ पारिवारिक मुद्दों पर संवेदनशील रहने की आवश्यकता है। धन से सम्बन्धित मामलों में लाभ की स्थिति बनी रहेगी।

वृष : इस सप्ताह नये कार्यों के प्रति तैयारी की आवश्यकता है न कि उत्साह कि। हर सफलता के पीछे एक संघर्ष की भूमिका निहित होती है। जो है वह है, जो नहीं है उसके लिए धैर्य रखने की जरूरत है। आप प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष में अन्तर समझने की कोशिश करें।

मिथुन : कुछ लोगों की अर्थ से जुड़ी समस्याओं का समाधान होने का समय आ गया है। प्रत्येक मिथक को तोड़ना आपका कर्तव्य है क्योंकि यह आपके लिए चुनौती है। परिवार की आन्तरिक कलह को निपटाने के लिए आपको ही पहल करनी पड़ सकती है।

कर्क : इस सप्ताह आप किसी पुराने कार्य के प्रति फिर से उत्साहित होंगे परन्तु समय आने पर ही उसमें सफलता मिल पायेगी। हर विषय पर पकड़ बना पाना ये सबके बस की बात नहीं है, इस लिए व्यर्थ की उलझनों में न ही पड़े तो अच्छा रहेगा।

सिंह : इस सप्ताह कुछ ऐसा अन्तरद्वन्द्व चलता रहेगा जिसको लेकर आप थोड़ा सा परेशान नजर आयेंगे। जिस कार्य का मार्ग कठिनाईयों के बीच होकर नहीं जाता है, उसकी सफलता में संदेह करते रहना चाहिए। आप सुख व शान्ति का अनुभव कर सकते हैं।

कन्या : इस सप्ताह कुछ लोगों को बेवजह का तनाव बना रह सकता है। जो बीत गया है, उस पर ज्यादा चिन्तन करना ज्यादा उचित नहीं है। विपत्तियां वास्तव में कुछ नहीं केवल आपकी प्रतिकूलतायें हैं।

तुला : जब आप-अपनी समस्त शक्तियों को एकाग्रा करके किसी भी क्षेत्र में कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से संतोषजनक सफलता प्राप्त होगी। साथ ही शक्तियां और अधिक विकसित होगी। व्यस्त व्यक्ति को अफसोस करने का समय नहीं मिलता है, वह प्रत्येक कार्य को उत्साह से करता है।

वृश्चिक : जीवन की हर साधना कठिनाईयों से निकलकर ही पूर्ण होती है। जरूरत इस बात की है, कि कसौटी पर सफल होने के प्रयास न छोड़े। अपना संघर्ष जारी रखें। जो मनुष्य कठिनाईयों का खुले दिल से स्वागत करता है, वह दूसरों के लिए प्रेरणा और आदर्श बन जाता है।

धनु : अग्नि की परीक्षा में तपकर ही आप शक्तिशाली, सौन्दर्युक्त और उपयोगी बन सकते हैं। जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए आपको उतनी ही अधिक कठिनाईयों और परेशानियों में से होकर गुजरना पड़ेगा। इन्हे खुले हृदय से स्वीकार करने पर ही आपका विकास होगा।

मकर : आप की इच्छा हो या न हो, जीवन में परिवर्तनशील परिस्थितियां आती रहेगी। आज उतार है तो कल चढ़ाव। चढ़े हुए गिरते हैं, और गिरे हुए उठते हैं। अधिकार सम्पन्न व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आपके भविष्य में उपयोगी साबित होगा।

कुम्भ : इस सप्ताह कुछ लोग क्रोध को अपने उपर हावी न होने दें अन्यथा बनी बनाई योजनाओं पर पानी फिरने के आसार नजर आ रहे हैं। हर किसी के पास कोई न कोई हुनर होता है। आप भी अपने हुनर को पहचान कर उसका उपयोग करें।

मीन : इस सप्ताह मन की भावनाओं में न बहकर दिमाग का उपयोग करें तो बेहतर परिणाम मिलेंगे। पितृ पक्ष से वैचारिक मतभेद होने की सम्भावना नजर आ रही है। राजनैतिक लोगों से वाद-विवाद हो सकता है।

पं० दीनानाथ तिवारी

श्रीमद्भगवत गीता

ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक्।

ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमदिविनिश्चितैः॥

यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्त्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेदमन्त्रों द्वारा भी विभागपूर्वक कहा गया है तथा भलीभाँति निश्चय किये हुए युक्तियुक्त ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है॥४॥

महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च।

इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः॥

पाँच महाभूत, अहङ्कार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा दस इन्द्रियाँ, एक मन और पाँच इन्द्रियों के विषय अर्थात् शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध-॥५॥

इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः।

एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्॥

तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, स्थूल देह का पिण्ड, चेतना और धृति इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया॥६॥

अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम्।

आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः॥

क्षेष्टता के अभिमान का अभाव, दम्भाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमाभाव, मन-वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा-भक्तिसहित गुरु की सेवा, बाहर-भीतर की शुद्धि, अन्तःकरण की स्थिरता और मन-इन्द्रियों-सहित शरीर का निग्रह॥७॥

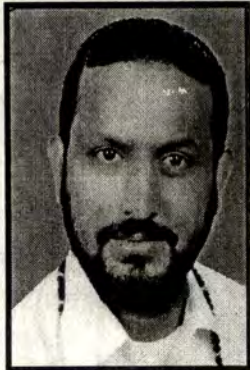
विकास की भूखी तस्वीर

मोदी जी पूरे विश्व में भारत के विकास का डंका पीटते नहीं थक रहे हैं। देश में हर जगह हर सुविधा में आधार आधार और बस आधार सुनाई पड़ रहा है। विज्ञापनों में अक्सर दिखाते हैं कि नन्हे बच्चे के पेट में दर्द उठता है, तो दादी-नानी कोई आयुर्वेदिक दवा पिला देती हैं या डाक्टर मां को सलाह देते हैं कि कीटाणु दूर करने के लिए फलों-फलों साबुन इस्तेमाल करें, बाबानुमा व्यापारी की नसीहत मिलती है हमारे बनाए तेल का उपयोग करें तो बीमारियां दूर होंगी। लेकिन झारखंड के सिमडेगा के कारीमाटी गांव की नन्ही संतोषी के पेट में 20 सितंबर को दर्द उठा तो गांव के वैद्य ने कहा कि इसको भूख लगी है, खाना खिला दो ठीक हो जाएगी। जीडीपी और विकास की बातें करने वालों, शेयर बाजार में उछाल देखकर मुदित होने वालों, धनतेरस और पुष्प नक्षत्र में शुभ मुहूर्त देखकर खरीदारी करने वालों को यह नसीहत अटपटी लग सकती है। किसी बच्चे के पेट में इसलिए भी दर्द हो सकता है कि वह भूखी थी, लेकिन सच यही है और कड़वा होने के बावजूद इसे हलक से उतारना ही होगा। संतोषी के घर में कई दिनों से अनाज नहीं था। उसके परिवार का राशन कार्ड बना था, लेकिन डिजिटल इंडिया वाले भारत में राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं था। तो डीलर ने उसकी मां को अनाज नहीं दिया। भूख बर्दाश्त करते-करते संतोषी के पेट ने जवाब दे दिया और रात तक उसकी सांसें ने भी। उसकी मां ने उसे नमक वाली चाय पिलाने की कोशिश की थी, ताकि उसकी शांत हो। लेकिन कहकर रो की हाथ-पैर अकड़ आखिरकार उसने दिया। ये वही समय हिंदुस्तान में देवी

राष्ट्रीय उद्बोधन

चन्द्र प्रकाश कौशिक

राष्ट्रीय अध्यक्ष



भूख थोड़ी भात-भात संतोषी के रहे थे और दम तोड़ था, जब आधे पूजा का

उत्साह था और देश के नीति-नियंता भी इस उत्सव में सराबोर थे। ये वाक्या दिल्ली-मुंबई का होता तो खबर तुरंत ब्रेक हो जाती, लेकिन झारखंड के गांव से मुख्य भारत तक पहुंचने में इसे वक्त लग गया। भूख से मौत की खबर थी, आखिर उसे दौड़ा कर भी क्या मिलता। कुछ दिनों पहले ही तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की भी रिपोर्ट आई है कि वैश्विक भूख सूचकांक में भारत शतकवीर बन गया है। 99 देशों की सूची में उसका स्थान सौवां है। देश में 63 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, यह बात तो केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री फगन सिंह कुलस्ते ने इसी साल अप्रैल में संसद में बताई है। इस तरह की बातों पर प्रधान सेवक के आंसू नहीं निकलते, न अपनी जाति पर गर्व का आह्वान करने वालों की भुजाएं फड़कती हैं। बहस इस बात पर भी हो सकती है कि संतोषी की मौत भूख से हुई या मलेरिया से। लेकिन नेता इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे कि एक मासूम अकाल मौत का शिकार क्यों हुआ, उसे भूख लगने पर भरपेट भोजन नहीं मिला या बीमारी होने पर समय से इलाज नहीं मिला तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। कब तक राजनीतिक दल एक-दूसरे पर आरोप लगाकर देश का ध्यान असल मुद्दों से भटकाते रहेंगे। नोटबंदी के बाद आम जनता का धन तो बैंकों के पास चला गया और अब अपना ही पैसा निकालने के लिए उसे कई परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। लेकिन राजनीतिक दलों की संपत्ति शुक्ल पक्ष के चांद की तरह बढ़ती जा रही है और जो रवैया है, उसमें तय है कि इनके लिए कृष्ण पक्ष कभी आएगा ही नहीं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर की नई रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले एक दशक में राजनीतिक दलों की संपत्ति में भारी इजाफा हुआ है। सात राष्ट्रीय दलों की कुल औसत संपत्ति 2008-09 में 69.62 करोड़ रुपये थी, जो वित्त वर्ष 2014-15 में बढ़ कर 300.85 करोड़ रुपये हो गयी है। भाजपा खुश हो सकती है कि उसके पास बहुमत ही नहीं, सबसे ज्यादा धन भी है। 2008-09 में भाजपा की संपत्ति 92.63 करोड़ रुपये थी, जो 2014-15 में बढ़कर 263.00 करोड़ रुपये हो गयी है। कांग्रेस उससे थोड़ा पीछे है, उसके पास 175.09 करोड़ रुपये हैं। अन्य दल भी ऐसे ही अमीर हैं। इतना धन इन पार्टियों के पास कहां से आता है, इन्हें चंदा देने वाले भी तो इंसान ही होंगे, आसमान से तो धनवर्षा होती नहीं होगी। क्या इन पर नोटबंदी, जीएसटी आदि का कोई असर नहीं पड़ता। या ऐसे चंदा देने वालों की मर्जी से ही सरकार फैसले लेती है और जनता को मानने के लिए मजबूर करती है, इतने धन का आखिर ये राजनीतिक दल करते क्या हैं। सवाल कई हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। कम से कम एक सवाल का जवाब तो देश को मांगना ही चाहिए कि भूख से तड़पती संतोषी को भात क्यों नहीं मिला आखिर मोदी जी देश के विकास में कौन सा रंग भरना चाह रहे हैं।

E-mail : chandraprakash.kaushik@akhilbharathindumahasabha.org

हिंदुओं के सांस लेने पर भी लग सकती है रोक

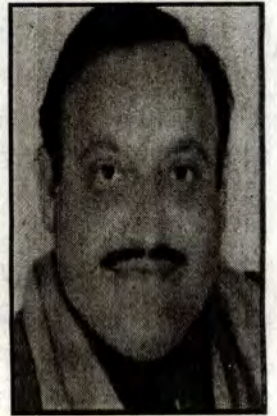
वैसे तो जनता ने सुप्रीम कोर्ट को जवाब दे दिया है। कितनी भी पाबंदी लगायी जाये हम अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ सकते। यही कहते हुए लोगों ने जमकर पटाखा जलाया और अपना त्योहार मनाया। जनता ने शांतिपूर्वक तरीके से माननीय न्यायालय और हिन्दु विरोधी संगठनों को यह बता दिया है कि हम अपना त्योहार अपने तरीके से मनाते थे और मनाते रहेंगे। आखिर केवल हिंदुओं के तौर तरीके ही कैसे पर्यावरण विरोधी हो सकते हैं। लेकिन हमारी परंपराओं को बचाने का प्रयास शुरू कर देना चाहिए। इस पर लगातार चर्चा होनी चाहिए, चिंतन होना चाहिए। कहीं ऐसा न हो एक दिन हिंदुओं को सांस लेने पर भी रोक लगा दी जाय। कि भाई हिंदुओं के सांस लेने से प्रदूषण फैलने लगा है, इस पर भी रोक लगनी चाहिए। कुल मिलाकर हिंदुओं ने साफ कर दिया है कि हम अपने त्योहारों में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। देश में इस समय हिंदुओं के खिलाफ रही है। पहले बंगाल विसर्जन पर प्रतिबंध दीपावली पर पटाखे गया, छठ पर नदी मनाने से रोक लगा

साजिशकर्ता इस पर ही नहीं रुक गये हैं। अगली दीपावली की साजिश अभी से शुरू हो गयी है। पिछले 90 साल से मिलावट पर काम कर रही स्पैक नाम की एक संस्था ने अब दावा किया है कि दीपावली पर जलाये जाने वाले दिये भी हवा में जहर घोलते हैं। उनका कहना है कि दीये पटाखे से 900 गुना ज्यादा प्रदूषित कर सकते हैं। इसके पीछे दावा किया गया है कि हिंदू मिलावटी सरसों के तेल से दिये जलाते हैं। इसलिए प्रदूषण फैलता है। मतलब समझें। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहिए आप। पर्यावरण के नाम पर अगले साल से आप दिये भी नहीं जला पाएंगे। कई संस्थाएं इसे लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। फिर भला कोर्ट क्या करेगी, सेक्युलर जज दिये जलाने पर भी प्रतिबंध लगा सकते हैं। हिंदु सभ्यता और हमारे त्योहारों को बंद कराने के साजिशकर्ताओं का कहना है कि सरसों के तेल में आरजिमोइन ऑयल, रिफाईंड और मोबिल ऑयल तक मिला होता है। देर सबेर कई संस्थाएं हिंदुओं के सांस लेने पर रोक लगाने का प्रयास शुरू कर दिया गया होगा। ईद में असंख्य बकरे कटते हैं, उनका खून नालियों में बहते हुए भूजल में मिल जाता है, लेकिन उससे प्रदूषण नहीं फैलता है आखिर क्यों। इस पर रोक लगाने की पहल क्यों नहीं हुई। सड़को पर गाड़ियों के हॉर्न बजाने से ध्वनि प्रदूषण होता है। अक्सर कई जगहों पर इस आरोप में गाड़ियों के चालान भी काटे जाते हैं। लेकिन सुबह-सुबह अजान होने पर क्या ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है। अगर कोई इस विषय में बोलना चाहे तो हमें चुप करा दिया जाता है। क्यों क्या यह ध्वनि प्रदूषण नहीं फैला रहा है। या यह मान लिया जाए कि प्रदूषण भी यह पता करने के बाद ही बढ़ता है कि यह कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है। अगर हिंदुओं ने किया है, तब तो निश्चित ही प्रदूषण फैल रहा होगा। अभी नये वर्ष में विश्व में करीब 96 देशों में जमकर आतिशबाजी होगी, लेकिन तब प्रदूषण नहीं फैलेगा। क्योंकि यह पटाखे हिंदुओं के त्योहार वाले नहीं हैं। इनसे तो वातावरण और शायद स्वच्छ होता हो। कोर्ट ने भी अपने आदेश में एक नवंबर से अपनी रोक को हटाने की बात कही है। हिंदुओं को सावधान हो जाना चाहिए, नहीं तो अपनी ही जमीन और अपने ही देश में हम पर तमाम बंदिशें लागू कर दी जायेंगी। देखा जाए तो हिंदू ऑक्सीजन सांस में लेकर कार्बन डाई ऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए न्यायालय संगठनों की याचिका पर आदेश दे सकती है कि हिंदू कम से कम ही सांस लें।

राष्ट्रीय आह्वान

मुन्ना कुमार शर्मा

राष्ट्रीय महासचिव



साजिश रची जा में दुर्गा पूजा मूर्ति लगाया गया, पर बैन लगाया घाट पर पूजा दी गयी।

E-mail : munna.sharma@akhilbharathindumahasabha.org

वर्षा ऋतुचर्या

वर्षा ऋतु में वायु का विशेष प्रकोप तथा पित्त का संचय होता है। वर्षा ऋतु में वातावरण के प्रभाव के कारण स्वाभाविक ही जठराग्नि मंद रहती है, जिसके कारण पाचनशक्ति कम हो जाने से अजीर्ण, बुखार, वायुदोष का प्रकोप, सर्दी, खाँसी, पेट के रोग, कब्जियत, अतिसार, प्रवाहिका, आमवात, संधिवात आदि रोग होने की संभावना रहती है।

इन रोगों से बचने के लिए तथा पेट की पाचक अग्नि को संभालने के लिए आयुर्वेद के अनुसार उपवास तथा लघु भोजन हितकर है। इसलिए हमारे आर्षदृष्टा ऋषि-मुनियों ने इस ऋतु में अधिक-से-अधिक उपवास का संकेत कर धर्म के द्वारा शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखा है।

इस ऋतु में जल की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। जल द्वारा उत्पन्न होने वाले उदर-विकार, अतिसार, प्रवाहिका एवं हैजा जैसी बीमारियों से बचने के लिए पानी को उबालें, आधा जल जाने पर उतार कर ठंडा होने दें, तत्पश्चात हिलाये बिना ही ऊपर का पानी दूसरे बर्तन में भर दें एवं उसी पानी का सेवन करें। जल को उबालकर ठंडा करके पीना

सर्वश्रेष्ठ उपाय है। आजकल पानी को शुद्ध करने हेतु विविध फिल्टर भी प्रयुक्त किये जाते हैं। उनका भी उपयोग कर सकते हैं। पीने के लिए और स्नान के लिए गंदे पानी का प्रयोग बिल्कुल न करें क्योंकि गंदे पानी के सेवन से उदर व त्वचा सम्बन्धी व्याधियाँ पैदा हो जाती हैं।

५०० ग्राम हरड़ और ५० ग्राम सेंधा नमक का मिश्रण बनाकर प्रतिदिन ५-६ ग्राम लेना चाहिए।

पथ्य आहार : इस ऋतु में वात की वृद्धि होने के कारण उसे शांत करने के लिए मधुर, अम्ल व लवण रसयुक्त, हलके व शीघ्र पचने वाले तथा वात का शमन करने वाले पदार्थ एवं व्यंजनों से युक्त आहार लेना चाहिए। सब्जियों में मेथी, सहिजन, परवल, लौकी, सरगवा, बथुआ, पालक एवं सूरन हितकर हैं। सेवफल, मूंग, गरम दूध, लहसुन, अदरक, सोंठ, अजवायन, साठी के चावल, पुराना अनाज, गेहूँ, चावल, जौ, खट्टे एवं खारे

पदार्थ, दलिया, शहद, प्याज, गाय का घी, तिल एवं सरसों का तेल, महुए का अरिष्ट, अनार, द्राक्ष का सेवन लाभदायी है। पूरी, पकौड़े तथा अन्य तले हुए एवं गरम तासीरवाले खाद्य पदार्थों का सेवन अत्यंत कम कर दें।

अपथ्य आहार : गरिष्ठ भोजन, उड़द, अरहर, चौला आदि दालें, नदी, तालाब एवं कुएँ का बिना उबाला हुआ पानी, मैदे की चीजें, ठंडे पेय, आइसक्रीम, मिठाई, केला, मट्ठा, अंकुरित अनाज, पत्तियों वाली सब्जियाँ नहीं खाना चाहिए तथा देवशयनी एकादशी के बाद आम नहीं खाना चाहिए।

पथ्य विहार : अंगमर्दन, उबटन, स्वच्छ हलके वस्त्र पहनना योग्य है।

अपथ्य विहार : अति व्यायाम, स्त्रीसंग, दिन में सोना, रात्रि में जागरण, बारिश में भीगना, नदी में तैरना, धूप में बैठना, खुले बदन घूमना त्याज्य है।

इस ऋतु में वातावरण में नमी

रहने के कारण शरीर की त्वचा ठीक से नहीं सूखती। अतः त्वचा स्वच्छ, सूखी व स्निग्ध बनी रहे। इसका उपाय करें ताकि त्वचा के रोग पैदा न हों। इस ऋतु में घरों के आसपास गंदा पानी इकट्ठा न होने दें, जिससे मच्छरों से बचाव हो सके। इस ऋतु में त्वचा के रोग, मलेरिया, टायफायड व पेट

के रोग अधिक होते हैं। अतः खाने-पीने की सभी वस्तुओं को मक्खियों एवं कीटाणुओं से बचायें व उन्हें साफ करके ही प्रयोग में लें। बाजारु दही व लस्सी का सेवन न करें। चातुर्मास में आँवले और तिल के मिश्रण को पानी में डालकर स्नान करने से दोष निवृत्त होते हैं।

तिल का तेल

तेल वायु के रोगों को मिटाता है, परंतु तिल का तेल विशेष रूप से वितघ्न है। तेल अपनी स्निग्धता, कोमलता और पतलेपन के कारण शरीर के समस्त स्त्रोतों में प्रवेश धीरे-धीरे मेद का क्षय कर दोषों को उखाड़ फेंकता है। तिल का तेल अन्य तेलों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। महर्षि चरक तिल के तेल को बलवर्धक, त्वचा के लिए हितकर, गर्म एवं स्थिरता देने वाला मानते हैं।

दाँत हिलना व पायरिया : तिल का तेल १० मिनट तक मुँह में रखने से हिलते हुए दाँत भी मजबूत हो जाते हैं और पायरिया मिटता है।

मोटापा, खाज-खुजली : तिल के गुणगुने तेल से एक माह तक शरीर पर मालिश करने से त्वचा में निखार आता है, मेद (चर्बी) कम हो जाता है और खाज-खुजली मिट जाती है।

एड्रियाँ फटने पर : मोम और सेंधा नमक मिला हुआ तिल का तेल पैरों की एड्री पर लगाने से वे मुलायम हो जाती हैं।

कुत्ता काटने पर : पागल कुत्ते ने काटा हो तो मरीज को तिल का तेल, कूटा हुआ तिल, गुड़ और आँकड़े का दूध समभाग करके पिलाने से फायदा होता है।

जलने पर : जले हुए भाग पर गर्म किया हुआ तिल का तेल लगाने से भी चमत्कारिक लाभ होता है।

गर्मियों में खरबूजे के बीज खाने के लाभ

❧ दिशा तिवारी

खरबूजा गर्मियों में काफी पसंद किया जाता है, इसमें पर्याप्त मात्रा में पानी होता है जो आपको हाइड्रेट रखता है, इसके अलावा इसका बीज भी सुखाकर खाया जाता है, क्या आप खरबूजे के बीज के फायदों के बारे में जानते हैं। फायदेमंद है खरबूजे के बीज—गर्मी के मौसम में खरबूजे की माँग बढ़ जाती है। लोग इनकी मीठी रसदार फाँकों को तो स्वाद लेकर खाते ही हैं, इनके बीज भी साफ करके सुखा लेते हैं। खरबूजे के सूखे हुए बीज केवल एक किस्म का मेवा ही नहीं है बल्कि सेहत का साथी भी है। जी हाँ, खरबूजे के बीज से हमारे शरीर को बहुत फायदे होते हैं।

प्रोटीन की उच्च मात्रा—खरबूजे के बीज में उच्च मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ये मात्र ३.६ प्रतिशत है। इतनी ही प्रोटीन की मात्रा सोया में भी पाई जाती है। इसलिए खरबूजे के बीज को खाना गर्मियों में बहुत फायदेमंद होता है। ये आपके शरीर की प्रोटीन की आवश्यकता को पूरा करते हैं।

विटामिन से भरपूर—गर्मियों के दूसरे फलों से तुलना करने पर मालूम चलता है कि खरबूजे में अधिक विटामिन ए, सी और ई होते हैं। खरबूजे के साथ-साथ उसके बीज के अंदर भी ये तीनों विटामिन काफी उच्च मात्रा में पाए जाते हैं। इस तरह से यदि आप खरबूजे का सेवन करते हैं तो आपकी आँखों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि ये विटामिन आँखों के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं।



प्रदेश में एक तरफ गर्मी की तपिश तेज होती जा रही है, तो दूसरी ओर इस वजह से बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। दूषित पानी और पाचन संबंधी कई परेशानियाँ इस मौसम में डायरिया जैसी बीमारी दे सकती हैं। चिकित्सकों के मुताबिक डायरिया में उल्टी-दस्त के मामले तेजी से बढ़ जाते हैं। एक ओर गर्मी से शरीर में पानी की कमी होने लगती है तो दूसरी ओर दूषित पानी और खान-पान का संक्रमण तेजी से होने लगता है। चिकित्सक आनन्द वर्धन कहते हैं कि गर्मी में आंतों के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।

फूड प्वाइजनिंग : उल्टी-दस्त, डी-हाईड्रेशन गर्मी में संक्रमण वाली बीमारियों का खतरा

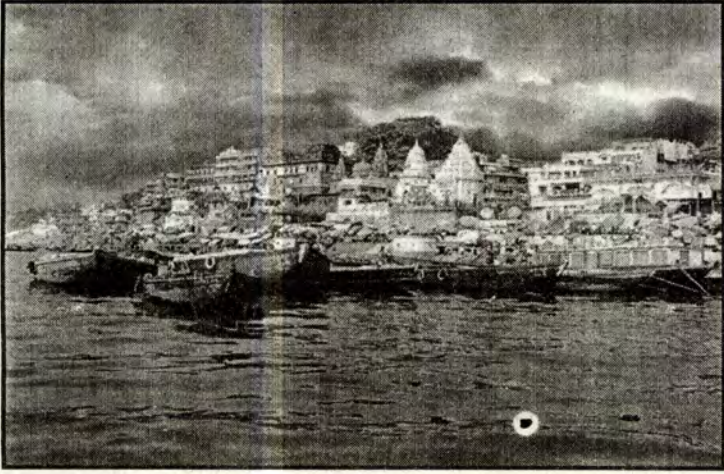
❧ डॉ. अनिरुद्ध वर्मा

संक्रमण से दस्त और उल्टी होने लगती है, इसे कोलाइटिस भी कहते हैं। दस्त और उल्टी को तुरन्त न रोका जाये तो शरीर में पानी की भारी कमी हो जाती है और डायरिया हो जाता है। गर्मी में खाने में बैक्टीरिया और फंगस का खतरा करीब दोगुना हो जाता है। इसलिए खाना पकाने के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खासकर पके हुए खाने को मक्खियों से बचाना जरूरी है। अगर खाना दूषित हो तो फूड प्वाइजनिंग हो सकती है।

डायरिया के लक्षण : डायरिया का सबसे प्रमुख लक्षण है दस्त का आना। आमतौर पर मरीज को चौबीस घंटे में चार से पाँच पतले दस्त होते हैं। इसके साथ पेट के निचले हिस्से में बहुत तेज दर्द होता है। यह दर्द हल्के या तेज मरोड़ के रूप में हो सकता है। बुखार और कमजोरी से शरीर बेजान लगने लगता है। कुछ रोगियों को दस्त के साथ उल्टियाँ भी हो सकती हैं। कमजोरी के कारण चक्कर आते हैं और आँखों के आगे अंधेरा भी छा जाता है।

बच्चों पर हो सकता है ज्यादा असर : डायरिया जैसी बीमारियाँ बार-बार होने से बच्चों के विकास पर बुरा असर पड़ता है। आंत में बार-बार होने वाले संक्रमण पोषण में कमी लाते हैं तथा शरीर की विटामिन बी-१२, विटामिन डी और वसा ग्रहण करने की क्षमता घट जाती है। डायरिया के उपचार और रोकथाम के लिए टीकारण, रोटोवायरस वैक्सीन को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है।

बचाव का तरीका : ❖ कड़ी धूप में बाहर निकलने से बचें। ❖ सुबह-शाम ही घूमें। ❖ दोपहर में निकलें तो सिर और कान कपड़े से ढक लें। ❖ धूप में छाते-टोपी का इस्तेमाल करें। ❖ सफर में खूब पानी पिएँ, ध्यान रहे पानी प्रदूषित न हो। ❖ नमक-चीनी का घोल साथ रखें और बीच-बीच में सेवन करें। ❖ यात्रा में खाने-पीने का समय सही रखें। तरल पेय व फल अधिक लें।



गंगा के अस्तित्व पर बढ़ता खतरा मात्र आस्था का प्रश्न नहीं, अपितु यह कृषि और पर्यावरण के लिए भी चिंताजनक है। यदि यही दशा रही तो गंगा से होने वाली खेती और पर्यावरण की सुरक्षा दोनों को बचा पाना कठिन होगा। दुर्भाग्य यह है कि गंगा पर छाए संकट को केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही देखा जा रहा है और इसी दृष्टि से थोड़ी-बहुत आवाज उठती है। परिणामतः इसे एक धार्मिक विषय बताकर कोई विशेष चिन्ता नहीं की जाती। यही बहुत बड़ा कारण है कि गंगा को बचाने के प्रयास की दिशा में शासन-प्रशासन के स्तर पर कहीं कोई पहल नहीं हो रही है।

निस्संदेह गंगा, भारतीय संस्कृति और जीवन दर्शन को परिलक्षित करती है और इस दृष्टि से गंगा की पवित्रता और उपयोगिता का महत्त्व कभी कम नहीं हो सकता। नदी-घाटी की सभ्यताओं में भारत तो अपने आप में एक अद्भुत देश है। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक फैला नदियों का जाल यहाँ की कृषि को जीवन देता है। उससे ही बदलता है किसान का भाग्य और जीवन। अधिकतर राज्यों में कोई न कोई नदी अवश्य गुजरती है, लेकिन इन सभी में सर्वाधिक मान्यता गंगा को ही है।

जीवनदायिनी गंगा

बड़ा कारण निश्चित रूप से धार्मिक है। गंगा को पापनाशिनी, जीवनदायिनी, मोक्षदायिनी आदि माना जाता है। पौराणिक कथाएँ भी कुछ ऐसा ही कहती हैं। गंगा के आविर्भाव के बारे में कहा जाता है कि भागीरथ ने अपने पितरों के तर्पण के लिए घोर तपस्या की। उनके प्रयासों से ही गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। चूँकि गंगा के वेग को पृथ्वी के

लिए सह पाना कठिन था, इसलिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को समेटा और फिर उनकी जटाओं से पृथ्वी पर गंगा की धारा प्रवाहित हुई। गंगा जहाँ-जहाँ गुजरी, वहाँ-वहाँ पृथ्वी पर जीवन खिल उठा। उसकी मुख्यधारा में हिमालय से निकलने वाली अलकनंदा और मंदाकिनी आदि नदियाँ भी सम्मिलित होती गईं। गंगा का आकार बदल गया। गौमुख से गंगा सागर, जिन क्षेत्रों से गंगा गुजरी, वहाँ की मृदा उर्वर हो गई। हरियाली से घर-घर खुशहाली आई।

यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो गंगा हिमालय की जिन पर्वत शृंखलाओं और घाटियों से गुजरती है, वहाँ जड़ी-बूटियाँ और गंधक के स्रोत हैं। गंगा इन तत्वों के अमृत तुल्य गुणों को आत्मसात करते हुए मैदानी क्षेत्र तक पहुँचती है। पवित्रता के कारण ही चर्मरोगियों के लिए गंगाजल वरदान सिद्ध होता है। गंगा स्नान के समय जनसमुदाय से विस्थापित होने वाली आणविक ऊर्जा ही रोगों के विनाश और मन की शांति का कारण बनती है।

गंगा, कृषि और कृषक

गौमुख से गंगा सागर तक की यात्रा में गंगा करोड़ों लोगों के जीवन का आधार है। विशेषकर उनका, जो अन्नदाता कहे जाते हैं। वास्तव में कृषि की आवश्यकता है जल। यदि जल है तो कृषि का जीवन भी होगा। जल-विहीन होने की दशा में न तो खेती होगी और न उस पर निर्भर रहने वाले लोग। खेती के लिए आवश्यक भूमि और समानुपातिक जैविक तत्वों का निर्माण भी जल से ही संभव है। परोक्ष रूप से जलचर और नभचर का जीवन भी इन्हीं के द्वारा चलता है।

परस्पर एक-दूसरे के पूरक, ये जीवन चक्र ही पर्यावरण और पारिस्थितिकी में संतुलन स्थापित करते हैं। जहाँ भी ये असंतुलित होंगे, वहाँ आपदाएँ बढ़ना निश्चित है।

गंगा के विनाश का भय

दुर्भाग्य यह है कि गंगा के विषय में इस महत्त्वपूर्ण तथ्य को जानने या समझने का या तो प्रयास ही नहीं हो रहा है अथवा गंगा के साथ

परियोजना और बीते वर्षों में प्रकृति के बिगड़े समीकरण ने गंगा के अस्तित्व पर कई प्रश्न खड़े किए हैं।

आज वर्ष भर गंगा में न तो पर्याप्त जल रहता है और न ही उसके प्रवाह में तेजी। केवल बरसात के मौसम में गंगा विकराल रूप धारण करती है। बाढ़ की विभीषिका और तबाही इसी का परिणाम है। इसके दो प्रमुख कारण हैं—प्रथम तो

पहले के समान गंगा में मछलियाँ नहीं रहीं, जिसके कारण मछुआरे समुदाय के सामने रोजी-रोटी का संकट पैदा हुआ है। चूँकि वे इसके अतिरिक्त अन्य कुछ करने में समर्थ नहीं हैं इसलिए यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकते। पेट की आग बुझाने के लिए उनके पास अपराध करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं बचा है, फिर शासन-प्रशासन और जन

समृद्धि चाहिए तो गंगा को बचाइए

ब्रजेन्द्र निर्मल

सोच-समझकर अनाचार हो रहा है। यदि यह मानें कि वास्तव में सही मन से गंगा को बचाने के प्रयास हो रहे हैं तो फिर गंगा निरंतर प्रदूषित क्यों होती चली जा रही है? गौमुख से ऋषिकेश और थोड़ा बहुत हरिद्वार को यदि छोड़ दें तो मैदानी क्षेत्रों की पूरी यात्रा में गंगा प्रदूषण युक्त है। चिंताजनक तथ्य यह है कि अब तक तो केवल नाले-नालियों और औद्योगिक क्षेत्र का ही प्रदूषित जल गंगा में पहुँचता था, लेकिन इन दिनों पशु वधशालाओं का रक्त भी गंगा में ब्रवाहत हो रहा है। कछला (बदायूँ) में गंगा का जल लाल रंग का साफ दिखता है। जल के परीक्षण में यह तथ्य भी सामने आया है कि उसमें इतने जहरीले रासायनिक तत्व हैं कि उससे चर्म रोग हो सकते हैं। जल पीकर पशु बीमार हो सकते हैं। यह प्रदूषित जल कृषि योग्य भूमि में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक और बोरान आदि तत्वों में गहरा असंतुलन उत्पन्न कर रहा है। इस कारण किसान इस जल से सिंचाई करना भी कम पसंद करते हैं और जिन्होंने अनजाने में ऐसा किया, उन्हें बहुत हानि उठानी पड़ी है। गंगा से निकली सिंचाई परियोजनाओं की बात अलग है। यहाँ एक बात और यह कि पहले गंगा में जल की मात्रा और प्रवाह तेज रहता था, इस कारण उसमें होने वाला प्रदूषण कम दिखता था। लेकिन टिहरी बाँध

बाँधों से बिना पूर्व सूचना के अनियमित ढंग से पानी छोड़ा जाता है, दूसरे सर्दियों में जल कम रहने से किसान खेती के लिए बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ सिंचाई के लिए पानी आसानी से कम गहराई पर मिल जाता है। अतः बाढ़ से इसी कारण हजारों हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि गंगा में समा जाती है। स्पष्ट है कि इस स्थिति में किसान के पास कुछ नहीं बचता। दूसरी ओर, तटीय क्षेत्रों के लिए अब तक कोई ऐसी योजना केन्द्र या प्रदेश सरकार नहीं बना सकी, जिससे इन क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। परिणामस्वरूप भय, भूख और निर्धनता से त्रस्त सीधा सरल किसान अपराध करने लगे तो कोई आश्चर्य नहीं। शोधों के अनुसार गंगा के खादर क्षेत्र में अधिकतर आपराधिक गिरोह इसी कारण बने। उनके पास जिन्दगी जीने के लिए अपहरण, हत्या, लूट के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प ही नहीं बचा था। पहले तो खेत में काम नहीं था और दूसरा शहरों से भी निराश लौटते थे। सहायता को कोई हाथ आगे नहीं, ऐसे में वे क्या करते? ऐसा नहीं कि यह समस्या समाप्त हो चुकी है, अपितु गंगा के अस्तित्व पर संकट के साथ समस्या का और अधिक बढ़ना तय है।

गंगा में पानी की कमी और प्रदूषण के कारण जल जीवों की कमी होती जा रही है। अब

प्रतिनिधि उनकी कठिनाइयों से मुँह मोड़े हुए हैं। ऐसे में यदि सामाजिक और आपराधिक समस्याएँ इन क्षेत्रों में बढ़ती हैं तो यह स्वाभाविक है। प्रशासन समाधान के स्थान पर उनके गहरे बीज बो रहा है, वह खेती और पर्यावरण के संरक्षण के स्थान पर उनके विनाश पर उतारू है।

खेती के वरदान कही जाने वाली गंगा को अभिशाप बनाने का कुचक्र रचा जा रहा है। इस देश की यह विडम्बना है कि गंगा की पवित्रता को केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही देखा जा रहा है। इसी कारण इसकी बात करने वाले केवल कुछेक धार्मिक-सामाजिक संगठन ही हैं। धार्मिक महत्त्व की दृष्टि से गंगा का तो उद्धार हर मूल्य पर होना ही चाहिए। गंगा पर करोड़ों लोगों की जीविका बचाने और उन्हें गंगा से जोड़े रखने का भी प्रयास होना चाहिए। अतः इसके लिए आवश्यक है कि जन जागरूकता का वातावरण बनाया जाए। जनप्रतिनिधियों और सरकार पर दबाव बनाकर गंगा के अविरल प्रवाह को रोकने वाले षड्यंत्रों व प्रयासों के प्रति कड़ाई बरती जाए। गंगा की पवित्रता यथावत रखने के लिए कड़े कानून बनें। यदि गंगा को बचाने का प्रयास रंग ला सका तो सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण भी तैयार हो सकेगा।

रोहिंग्या मुस्लिम घुसपैठियों का हर संभव विरोध करना होगा नहीं तो ये मानवता के नाम पर दानव बन कर बंगलादेशी घुसपैठियों के समान हमें लूटते रहेंगे और धीरे धीरे हमारे संसाधनों पर अधिकार कर लेंगे। धर्म और देश की रक्षार्थ ऐसे घुसपैठियों को जो बसे हुए हैं उन्हें भी किसी भी स्थिति में अपने देश से बाहर निकालना ही होगा। यह सर्वविदित है कि मुसलमान पहले मुसलमान होता है बाद में

जाती आ रही है। इस पर भी हम मानवतावादी बन कर अन्य मुस्लिम घुसपैठियों को और बसायेंगे तो फिर हम से बड़ा मूर्ख व आत्मघाती कौन होगा?

आज इन रोहिंग्या मुसलमानों की चिंता में तथाकथित मानवतावादियों व सेक्युलरों को बहुत चिंता सता रही है, जगह जगह आंदोलन व प्रदर्शन हो रहे हैं। जबकि ईराक व सीरिया से इस्लामिक आतंकवाद से पीड़ित 8-15 वर्षों में खदेड़े गए यहूदी,

कुफ्र विरोधी जिहादी मानसिकता के वशीभूत वहां के मूल शांतिप्रिय बौद्ध निवासियों पर वर्षों से आक्रामक बने हुए थे। जब 2009 में अफगानिस्तान के वामियान में छठी शताब्दी में निर्मित भगवान बुद्ध की विशालकाय मूर्तियों को तालिबानियों ने तोप से उड़ाया

जनून को भी पहचाना। इन सबसे आक्रोशित होकर अपने देशवासियों व धर्म की रक्षार्थ भिक्षु विराथू ने अपना कर्तव्य निभाते हुए वहां के पीड़ित नागरिकों को इन आततायियों के विरुद्ध संघर्ष के लिये तैयार किया। परिणामस्वरूप जैसे को तैसा का अर्थ समझने

रोहिंग्याओं की रक्षार्थ सक्रिय हो गये हैं। परंतु जब गैर मुस्लिमों को अपनी जड़ों से उखाड़ा जाता है तब ये सब जिहाद की दुहाई देते हैं और मानवताविरोधी कृत्यों को अपना अधिकार समझते हुए उसे सही ठहराते हैं। दुनिया को इस्लाम

रोहिंग्या मुसलमानों का विरोध आवश्यक

विनोद कुमार सर्वोदय

था तब वर्मावासी भगवान बुद्ध के अनुयायियों ने वहां की एक प्राचीन मस्जिद को ध्वस्त करके अपना आक्रोश प्रकट किया था। ऐसी घृणास्पद धर्माधता से त्रस्त होने पर म्यांमार के एक धार्मिक बौद्ध भिक्षु विराथू ने जिहादियों की इतिहासिक सच्चाई को समझा। उन्होंने पूर्व में बौद्ध व हिन्दू देशों पर हुए इनके अमानवीय अत्याचारों के कारण बढ़ते हुए इस्लामिक साम्राज्यवादी जिहादी

वालों ने दुर्जन के सामने सज्जनता त्याग कर प्रभावशाली प्रतिकार करके उनको उन्ही की भाषा में समझने को विवश कर दिया।

इन हिंसक रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर कोई पलटवार भी कर सकता है, संभवतः कभी किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा। अतः अचानक उभरी इन विपरीत परिस्थितियों में अधिकांश मुस्लिम समाज व अनेक मुस्लिम देश असमंजस में हैं और इन

के झंडे के नीचे लाना ही इनका एकमात्र लक्ष्य है। इन जिहादी जनूनियों का यह मानना है कि वे अल्लाह की राह पर अल्लाह के लिये अपनी जान देते हैं।

आज इन विकट परिस्थितियों में रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में बसाने के लिये सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका डालने वालों की पैरवी करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ताओं की अवैध रूप से रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों के प्रति मानवीय सहानुभूति होना स्वाभाविक हो सकता है। परंतु क्या इन विद्वान अधिवक्ताओं को घुसपैठियों से राष्ट्र की सुरक्षा पर आने वाले संकट का कोई आभास नहीं होता? क्या इनके साथ साथ अन्य बुद्धिजीवी भी इससे अनभिज्ञ हैं कि इन अवैध नागरिकों के कारण देश के संसाधनों पर बोझ पड़ेगा? यह भी विचार करना होगा कि ऐसे में अहिंसक देशवासियों को इन हिंसक मानसिकता वाले घुसपैठियों से सुरक्षित रखने की एक और विकट समस्या खड़ी हो जायेगी? उदार व सहिष्णु समाज की सज्जनता की परीक्षा क्यों और कब तक ली जाती रहेगी? धार्मिक आधार पर हुए देश के विभाजन के उपरांत पुनः धीरे धीरे हिन्दू-मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात बिगड़ रहा है तो ऐसे में हजारों-लाखों रोहिंग्या मुस्लिम घुसपैठियों को बसाना क्या न्यायसंगत होगा? क्या यह एक प्रकार का सुनियोजित षडयंत्र तो नहीं जो हमारी संस्कृति पर इस्लामिक आक्रांताओं के इतिहास की पुनरावृत्ति के लिये रची जा रही हो? यह सुखद है कि हमारी केंद्रीय सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ इन सब परिस्थितियों का आंकलन करके इस चुनौती से निपटने के लिये पूर्णतः कटिबद्ध है।



कुछ और। वह इस्लाम में बने रहकर उसका पालन करते हैं जिसका सीधा अर्थ है—कुफ्र के विरुद्ध युद्ध, विध्वंस और अशांति। वे कुरान को अल्लाह का संदेश आदेश मानते हैं इसलिये इसमें उन्हें कोई संशोधन या परिवर्तन स्वीकार नहीं? इतिहास साक्षी है कि भारत सहित विश्व के किसी भी राष्ट्र में मुस्लिम आक्रांताओं के वंशजों व मुस्लिम घुसपैठियों ने प्रायः उस संस्कृति को नहीं अपनाया जहां उनको शरण मिली और मान-सम्मान से सम्पूर्ण मानवीय अधिकारों के साथ जीवन यापन करने की सुविधाये। अतः ये घुसपैठिये जो मानवता की दुहाई दे कर हमारे देश में बसना चाहते हैं, की मानवता केवल इस्लाम तक ही सीमित रहती है। इनमें से कब कौन जिहाद के लिये अपराध के साथ साथ आतंक का पर्याय बन जाय और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये गंभीर संकट उत्पन्न हो उससे पहले ही इन पर कठोर निर्णय लेना होगा? हम अभी तक वर्षों से जारी पिछली सरकारों की अदूरदर्शिता और वोट पिपासु दूषित मानसिकता के कारण करोड़ों बंगलादेशी घुसपैठियों के अत्याचारों और देशद्रोही कार्यकलापों को झेलने का दंश भुगत रहे हैं। देश में अनेक अवसरों पर पहले ही बंगलादेशी मुस्लिम घुसपैठियों की विभिन्न अपराधों व आतंकवाद में लिप्तता पायी

यजीदी व ईसाई आदि लगभग 50 लाख लोगों की सेक्युलर व मानवाधिकारियों ने कभी चिंता नहीं करी। बल्कि धनी मुस्लिम राष्ट्रों ने तो ऐसे पीड़ित शरणार्थियों को अपनी भूमि पर शरण देने को ही मना कर दिया था।

क्या समाज के इन बुद्धिजीवियों ने कभी 1947 में पाकिस्तान से जम्मू-कश्मीर में आये दंगा पीड़ित हिन्दू-सिख जो अब लगभग 7 लाख हैं और 1947 में मजहब के नाम पर हिंसा फैला कर वहां से उजाड़े गए 5 लाख हिंदुओं के लिये कोई आंदोलन या प्रदर्शन किया था? क्यों नहीं कोई मानवतावादी, सेक्युलर व मुसलमान दशको से पीड़ित अपने इन देशवासियों के समर्थन में आवाज उठाता? क्या उन्हें केवल आतंकवाद में सम्मिलित व उस कारण पीड़ित मुसलमान के प्रति ही सहानुभूति रहती है? इतिहास साक्षी है कि जब जब इस्लाम के नाम पर गैरमुस्लिमों पर अत्याचार होते रहे तब तब अधिकांश धर्मनिरपेक्ष व मानवतावादी समाज बिल्कुल शांत बैठा रहता है, परंतु जैसे ही ये कटटरपंथी लूटने-पिटने लगते हैं वैसे ही इन सब तथाकथित बुद्धिजीवियों के बोल सुनाई देने लग जाते हैं।

ध्यान रहें कि उपरोक्त रोहिंग्याओं की समस्या की जड़ में एक गंभीर बिंदु यह भी है कि ये मुसलमान म्यांमार में अपनी

हरियाणा स्थापना दिवस की 59 वीं वर्षगांठ (1-11-2017)

यह देश का एक मात्र ऐसा राज्य है जहां दयानन्द जयन्ती पर राज्य स्तर पर सरकारी अवकाश होता है। इस राज्य में 25 आर्य समाज के गुरुकुल हैं। रोहतक में दयानन्द विश्वविद्यालय भी है। आर्य समाज का अच्छा प्रभाव है। इसी राज्य में ढोंगी बाबाओं के डेरे भी हैं। इनके अनुयायी भी अच्छी संख्या में हैं। 700 एकड़ भूमि में बना हुआ गुरमीत राम रहिम का सिरसा वाला डेरा सबसे बड़ा है इसकी शाखाएं विदेशों में भी हैं। भक्तों की संख्या 5 करोड़ तक बताई है। राम रहिम एय्याश और चरित्र हीन है। दो मुकदमों में 20 साल के कठोर कारावास की सजा और 95 लाख रुपए की राशि की सजा जुमाने में हुई है। कुछ मुकदमों अभी चल रहे हैं। यदि आर्य समाज ज्यादा सक्रिय होता तो हरियाणा में ढोंगी बाबाओं के डेरे ही नहीं खुलते।

देवता स्वरूप भाई परमानन्द की 983 वीं जयन्ती (8-11-2017)

आप भाई मतिदास के वंशज थे। आपने 1915 में अखिल भारत हिन्दू महासभा बनवाई थी। आप के प्रयास से वीर सावरकर 1937 में हिन्दू महासभा में आए थे। आपने 1938 में हिन्दू महासभा भवन बनवाया था। आप नेशनल एसेम्बली के लिए अम्बाला से सांसद चुने गए थे। आपके पुत्र डा. भाई महावीर 1915 में भारतीय जनसंघ के सचिव बने। आप दो बार राज्य सभा के सदस्य बने। आप म० प्र० के राज्य पाल भी रहे थे। मुरादाबाद के सतीश मदान से आपने हिन्दू महासभा में चल रही गुटबाजी पर अपनी नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि हिन्दू महासभा में आक्रामक-संघर्षशील कार्यकर्त्ताओं का घोर अभाव देखकर उन्हें दुःख होता है। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें जनसंघ-भाजपा में नहीं जाना चाहिए था बल्कि हिन्दू महासभा का ही कार्य करना चाहिए था।

आई० डी० गुलाटी, बुलन्दशहर



दुबई में भारत के अनेक हिन्दू रोजी रोटी के लिए कामधंधा या नौकरी कर रहे हैं, उनकी तादाद हजारों में है। गत वर्ष दिवाली के पूर्व उन लोगों ने वहाँ के शेख (अमीर) को एक प्रतिवेदन दिया—दिवाली हिन्दुओं का सबसे प्रमुख व बड़ा त्योहार है, अतः उसकी हमें छुट्टी दी जाए।

शेख ने उनकी बात बड़े ध्यान से सुनी और प्रति प्रश्न किया कि आपके त्योहार दिवाली की छुट्टी करने में उन्हें खुशी होगी परंतु यह तो पता करके बताएँ कि “क्या आपके अपने देश भारत में दिवाली की छुट्टी होती है?” जब भारत में पता किया गया तो मालूम हुआ कि भारत धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए यहाँ दिवाली की छुट्टी नहीं होती—यहाँ दूसरे दिन की ‘पड़वा’ की छुट्टी होती है।

भारत धर्मनिरपेक्ष है इसलिए यहाँ मुहम्मद साहब के जन्मदिन की, ईद और मोहर्रम की छुट्टी होती है। भारत धर्मनिरपेक्ष है इसलिए यहाँ गुडफ्राइडे और क्रिसमस की छुट्टी होती है। भारत धर्मनिरपेक्ष है इसलिए यहाँ नेताओं के मरने पर छुट्टी होती है, परंतु रामनवमी, शिवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी नहीं होती। ईरान, ईराक, इजिप्त, तुर्की जैसे मुस्लिम देशों में परिवार नियोजन का सख्ती से अमल होता है, परंतु भारत में परिवार नियोजन केवल ऐच्छिक है, इसलिए कि धर्मनिरपेक्ष है।

चीन और रूस में मस्जिदों पर सरकारी ताले लगे हुए हैं, वहाँ के मुसलमान को मस्जिद में जाने की इजाजत करने की इजाजत नहीं है, वहाँ के मुसलमानों ने इसे स्वीकार

भारत की धर्मनिरपेक्षता?

कीर्तिशेष मधुश्री काबरा

किया है परंतु भारत में मंदिर मस्जिद के निर्माण को लेकर खून खराबा होता है, पुराने मंदिर मस्जिद की देखभाल रिपेरिंग आदि नहीं हो पाती, परंतु नए मंदिर मस्जिद बनाने के लिए सिर फूट रहे हैं, क्योंकि हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष है। किसी भी नेता के मरने पर नाटकीय ढंग से टीवी, रेडियो पर गीता, कुरान, बाइबल ग्रंथसाहब का पाठ लाजमी होता है, इसलिए कि हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष है।

हर नेता, मिनिस्टर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर आदि के मौत पर सरकारी खर्च से, धार्मिक विधि से दाहसंस्कार या दफन विधि होती है, जो धार्मिक विधियाँ आम प्रचलन में बंद हो चुकी हैं, जैसे कि चंदन की लकड़ियों से ही समग्र चिता को जलाना अगर वे अपने घर में बिना ओहदे के मरते तो क्या इतना चंदन और शुद्ध घी का उपयोग कर पाते? उनके लिए यह व्यवस्था फिर से प्रचलित की जाती है, इसलिए कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं।

मुस्लिम देशों में खासकर पाकिस्तान में भी चार पत्नियों पर प्रतिबंध है, जबकि भारत में यह सुविधा धर्म के नाम पर है और मजे की बात कि इस सुविधा का लाभ उठाने वालों में दूसरे धर्म वाले हिन्दू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई आदि भी शामिल हैं। इसलिए कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं।

मस्जिदों के पुर्ननिर्माण या जीर्णोद्धार के लिए लाखों का सरकारी अनुदान भी इस

धर्मनिरपेक्ष हैं।

मस्जिदों में हथियार, बम, बारूद या पेट्रोलियम पदार्थ रखे जा सकते हैं, अपराधियों को शरण भी दी जा सकती है। हमारे सरकार उन्हें नहीं पकड़ती, इसलिए कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। गुरुद्वारों में आतंकवादी छुप सकते हैं, हथियारयुद्ध चला सकते हैं, निर्दोष दर्शनार्थियों की हत्या कर सकते हैं, उन्हें पकड़ने का काम नहीं हो सकता, जबकि मंदिरों में जूते पहने हुए हथियारबंद पुलिस घुस जाती है, इसलिए कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। हिन्दुओं में हरिजन व्यवस्था अन्याय की प्रतीक है इसलिए उन्हें अर्थलाभ देना तो उचित है, परंतु बौद्ध धार्मिक और मुस्लिम सम्प्रदायों में जहाँ यह प्रथा अन्याय नहीं है उन्हें भी इसलिए देते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। कश्मीर जो कि भारत का ही एक प्रदेश है, वहाँ से हिन्दुओं का निष्कासन उन पर जुल्म की प्रक्रिया चल रही है। उन्हें इसलिए सुरक्षा नहीं दी जाती है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं।

भारत में ज्ञानी जैल सिंह, बूटासिंह या मुफ्ती मोहम्मद सईद जैसे अक्षम को इसलिए गृहमंत्री बनाया जाता है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। भारत में हिन्दू मुस्लिम दंगों पर पाकिस्तान बांगलादेश आदि हस्तक्षेप करते हुए चिल्लाने लगते हैं, जिसका प्रतिवाद हमारी सरकार नहीं कर पाती, दूसरी तरफ वहाँ जो दंगे होते हैं, अल्पसंख्यकों को शरणार्थी बनाकर धकेल दिया जाता है, वहाँ मंदिर आदि या तो सील

किये हुए हैं, या तोड़े जाने लगे हैं, हमारी सरकार खामोश है इसलिए कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं।

क्या इस तरह की बेबुनियाद इक तरफा धर्मनिरपेक्षता टिक पाएगी? जबकि दुनिया में किसी भी देश में धर्मनिरपेक्षता नाम की कोई स्थिति नहीं है, बल्कि वहाँ के शब्दकोशों में भी ऐसी धर्मनिरपेक्षता जैसा कोई शब्द

साम्प्रदायिकता का जन्म है, फलस्वरूप इस साम्प्रदायिक जुनून से इस नकली धर्मनिरपेक्षता की जल्दी ही दफनविधि होने की संभावना है, सभी सम्बन्धित पक्ष इसके पूर्व ही सर्वधर्म समभाव को अपना लें और एक-दूसरे के प्रति धार्मिक सम्मान और सद्भाव का व्यवहार अपना लेंगे तो रास्ता निकल सकता है, मगर परोक्ष प्रोत्साहन देकर वोट लूटने का प्रयास धर्मनिरपेक्षता के आवरण को चीरकर रख देगा। वह स्थिति अधिक भयावह होगी।

चुनावों ने एक तरफ जनतंत्र का आवरण रखा तो दूसरी तरफ जाति धर्म का द्वेष इस हद तक बढ़ाया है कि हर किसी को अपना एक हाथ दूसरे का दुश्मन लगाने लगा है—उसे रोकने का कोई प्रयास नहीं हुआ, इसलिए कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। भारत में फैली धार्मिक, साम्प्रदायिक, जातीय या भाषागत विद्वेष को केवल शाब्दिक वाणी—विलास या बन्दूक की गोली से नहीं दबाया जा सकेगा। कट्टरता का प्रति जवाब ही दूसरी कट्टरता बनाम दूसरी

कट्टरता रखना ही दूसरी कट्टरता का प्रति जवाब ही दूसरी कट्टरता बनाम दूसरी

शेष पृष्ठ 11 पर

अनुच्छेद 35 ए पर प्रतिक्रिया

१. १४-५-१९५४ को नेहरू की अनुशंसा पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद द्वारा ३५ ए को संविधान के परिशिष्ट दो में स्थापित किया गया था।
२. यह प्रक्रिया अलोकतांत्रिक है और अनुच्छेद ३६८ का भी उल्लंघन है।
३. ३५ ए में राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह अन्य राज्य के नागरिकों को राज्य की स्थायी नागरिकता दे सकती है।
४. पंजाब से २०० बाल्मीकि के परिवार कश्मीर में लाये गए ताकि नगरों—कस्बों की सफाई आदि सुचारु रूप से हो सके।
५. इन्हें आश्वासन दिया गया कि भविष्य में इन्हें स्थायी नागरिकता दे दी जाएगी।
६. राज्य सरकारें सदैव हिन्दू विरोधी रही हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उपरोक्त परिवारों को स्थायी नागरिकता के प्रमाण पत्र यह लिखकर दिए गए कि उनकी स्थायी नागरिकता केवल सफाई कार्यों के लिए ही है। यह स्पष्ट रूप से भेदभाव और अन्याय है।
७. ३५ ए का उपयोग करके केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को बरखास्त भी कर सकती है।
८. सर्वोच्च न्यायालय में शीघ्र ही ३५ ए और ३७० पर सुनवाई शुरू होने वाली है।
९. १९४७ के शरणार्थियों को स्थायी नागरिकता अभी तक क्यों नहीं दी गई है? १९६० के लाखों पंडितों का पुर्नवास क्यों नहीं हुआ है?
१०. हम मांग करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ३५ ए और ३७० को २/३ के बहुमत से हटाने के लिए निर्णय दे।

सतीश चन्द गोयल, बुलन्दशहर

(पिछले अंक का शेष)

आओ! राष्ट्र रक्षा में जुट जाए

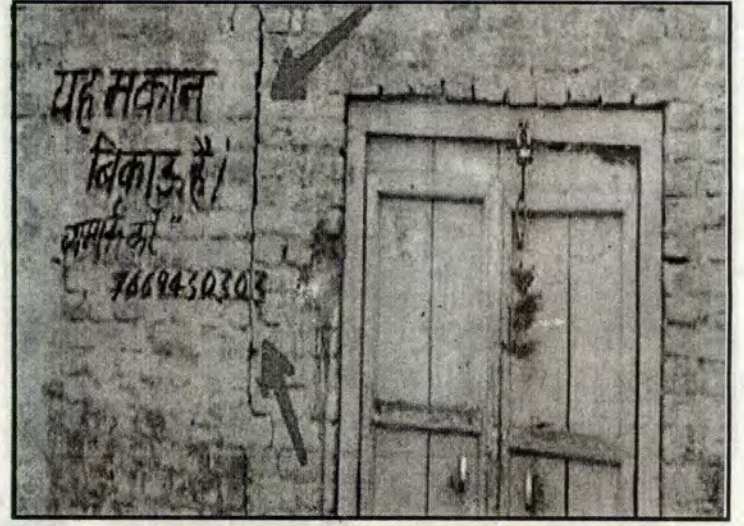
भारत की आन्तरिक सुरक्षा के लिये 3 मुख्य खतरे हैं, वे हैं—कट्टरपंथी इस्लाम, साम्राज्यवादी ईसाइयत और साम्यवाद। यदि इनमें, वर्तमान में सत्ता के लिये 'वोट बैंक' और 'जातिगत राजनीति' को और जोड़ दे, तो ये 5 तत्त्व भारत की अखण्डता के लिये खुली चुनौती की कहानी को पूरा कर देते हैं। पहली सदी में ईसाई कुसेड़ों और 17 वीं सदी में इस्लामी जिहादियों ने भारत पर हमला किया, जो 19 वीं सदी तक चलता रहा। इनके फलस्वरूप लाखों हिन्दुओं का बलात् धर्मान्तरण किया गया और उनके देश पर पहले इस्लामी, और बाद में ईसाई राज्य स्थापित किया गया।

हिन्दू भारत पर सबसे घातक हमला, 1947 में, गाँधी, नेहरू, कांग्रेस ने देश का विभाजन करके किया। भूलिये मत! कि 1947 में, भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, बल्कि भारत का विभाजन हुआ था जिसमें शेष भारत की सत्ता ईसाई अंग्रेजों से मुस्लिम परस्त गाँधी-नेहरू कांग्रेस को स्थानान्तरित हुई थी, तथा हिन्दुओं के साथ एक महान विश्वासघात किया गया था। सत्ता लोलुप नेहरू कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धान्त तो माना, और मुसलमानों को पाकिस्तान दिया परन्तु इसकी दूसरी शर्त

'हिन्दू-मुस्लिम आबादी की अदला-बदली' को क्रियान्वित नहीं किया। परिणामस्वरूप पाकिस्तान में बसे लाखों हिन्दुओं की हत्या कर दी गई, और इसके विपरीत, भारत में बसे जिन शत-प्रतिशत मुसलमानों ने, हिन्दुओं के साथ न रहने के कारण पाकिस्तान मांगा, उनमें से अधिकांश शेष भारत को भी इस्लामी राज्य बनाने के लिए यहीं बसे रहे। नेहरू ने भी उन्हें यहाँ बसाए रखा ताकि 'मुस्लिम

मानते हैं, ताकि भारत 'हिन्दू राज्य' न हो जाए।

प्रारम्भ से ही चली आ रही प्रान्तवाद, भाषावाद, जातिवाद, आरक्षणवाद, मुस्लिम, ईसाई, तुष्टीकरणवाद एवं छत्र सैक्यूलरवाद की नीतियों ने हिन्दू समाज एवं देश को सैकड़ों खेमों में बाँट दिया है। स्कूलों में हिन्दू धर्म शिक्षा के प्रतिबन्ध के फलस्वरूप, 1947 के बाद जन्मी सम्पूर्ण पीढ़ी हिन्दू धर्म चेतना विहीन हो गई है। हिन्दुओं के



हिन्दू अस्तित्व, संकट और समाधान

प्रो० ए०पी० सारस्वत

वोटों' के सहारे वह व उसका वंश लम्बे समय तक भारत पर राज करता रह सके, तथा बाद में, शेष भारत को भी मुसलमानों को दे दें। भारत विभाजन कर मुसलमानों को, 'इस्लामी राज्य', पाकिस्तान दिया गया, पर हिन्दुओं को 'हिन्दू राज्य' नहीं मिला बल्कि 'हिन्दू-विरोधी छत्र सैक्यूलर राज्य' मिला जिसकी आड़ में हिन्दुओं को अनेक धार्मिक-राजनैतिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया है तथा मुसलमानों को, 'भारत को इस्लामी राज्य बनाने के लिए, सभी वैधानिक अधिकार दे दिए

ईसाइयत एवं इस्लाम में धर्मान्तरण व अन्य कारणों से हिन्दुओं की संख्या लगातार घट रही है तथा मुसलमानों की जनसंख्या देश की औसत वृद्धि प्रतिशत दर से द्रयोद्धी गति से बढ़ रही है। परिणामस्वरूप 2060 तक, हिन्दू अल्पमत में हो जायेंगे। अधिकांश प्रिन्ट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, हिन्दू धर्म एवं संस्कृति को नष्ट करने में संलग्न हैं।

मुसलमानों को अपना इस्लामी राज्य-पाकिस्तान मिलने के बाद उनका भारत में बसे रहने का कोई अधिकार नहीं रहा गया था और फिर उन्हें कोई अलगाववाद तथा आर्थिक व राजनीतिक मांगे रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है, कोई विशेषाधिकार देने का तो प्रश्न नहीं उठता; विशेषकर, जबकि वे भारत की मुख्य धारा में नहीं मिलते, परिवार नियोजन नहीं अपनाते, सैक्यूलरिज्म में विश्वास नहीं करते, उल्टे अपने विधि-विधान मुस्लिम पर्सनल कानून और शरिया कोर्ट चलाना चाहते हैं क्योंकि कुरान की शिक्षाओं के अनुसार, उनका सुस्पष्ट अन्तिम उद्देश्य भारत में इस्लामी राज्य स्थापित करना है और हिन्दू धर्म और संस्कृति को समूल नष्ट करना है जैसा कि उन्होंने पाकिस्तान में हिन्दुओं के साथ

किया है:— (1) 'दीन तो अल्लाह का इस्लाम है (3:96)' (2) उनसे युद्ध करो जहाँ तक कि फितना शेष न रहे और 'दीन' अल्लाह का हो जाए (2:963) (3) वही है जिसने अपने 'रसूल' को मार्ग दर्शन और सच्चे 'दीन' सत्य धर्म के साथ भेजा ताकि उसे समस्त दीनों पर प्रभुत्व प्रदान करे, चाहे मुशरिफों को नापसन्द क्यों न हो (6:33)।

हमारे धर्म शास्त्रों ने स्वदेश, स्वधर्म एवं स्व-संस्कृति की रक्षा के लिए देशवासियों में संकल्प शक्ति एवं राष्ट्र भक्ति जगाने की विधियों के साथ-साथ सशस्त्र धर्मयुद्ध करने का भी आदेश दिया है। इनका मूलमंत्र है: 'ब्राह्मबल' और 'क्षात्रबल' का समुचित समन्वयन करना।

'जिस देश में 'ब्राह्मबल' (ज्ञान-विज्ञान की शक्ति) और 'क्षात्रिय बल' (सैनिक शक्ति, राष्ट्र भक्ति व सामुदायिक बल) मिलकर कार्य करते हैं, वह देश के कल्याणकारी, सुरक्षित और सब प्रकार से उन्नत होता है।' अतः स्वधर्म, स्वदेश एवं स्व-बंधुओं की सुरक्षा एवं स्वदेश की सर्वांगीण उन्नति के लिए प्रत्येक व्यक्ति का सबसे पहला कर्तव्य, अपने हृदय में बसी क्षात्रिय प्रवृत्तियों को जगाकर क्षात्रिय धर्म अपनाना है क्योंकि आत्मा—

परमात्मा का चिन्तन-मनन, ध्यान, आराधना, कथा-कीर्तन, सत्संग आदि केवल स्वराज्य में ही संभव हैं परन्तु, हिन्दू धर्म विरोधी, या इस्लामी राज्य में कदापि नहीं।

आज भारत की 15 प्रतिशत प्रजा हिन्दू है जिसके राजनैतिक हितों व धार्मिक अधिकारों की उपेक्षा हो रही है और उनकी रक्षा करने के लिए संघर्ष करना ही क्षात्रिय धर्म का पालन करना है। अतः आज की आवश्यकता है कि प्रत्येक हिन्दू स्वदेश एवं स्वधर्म की रक्षा के लिए अपने क्षात्रिय धर्म का पालन करे। आज देश की सुरक्षा केवल न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट आदि, और सेना के भरोसे रह गई है जिसे भी, मुस्लिम सिरों की गिनती करके व राष्ट्रीयता की उपेक्षा करे, साम्प्रदायिक रंग से रंगा जा रहा है। ऐसे में दृढ़ संकल्पी, राष्ट्र एवं धर्मरक्षा को समर्पित, राष्ट्र भक्तों की आवश्यकता है जो पुलिस व सेना को स्थानीय दृष्टि से सहायक हो सकें। यह कटु सत्य है कि अन्तर्राष्ट्रीय इस्लामी जिहाद और साम्राज्यवादी ईसाइयत की आँधी को थोथे, अकर्मण्य और छत्र और सैक्यूलरिज्म से नहीं रोका जा सकेगा जब तक कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में राष्ट्र भक्ति और स्वदेश रक्षा का दृढ़ संकल्प न हो। ऐसे में हमें इसी समाज में से, अनेक राष्ट्र भक्तों के त्याग, तपस्या, साधना, और प्रचार-प्रसार से सामूहिक हिन्दू शक्ति पैदा करनी होगी, 'हिन्दू वोट बैंक' सद्बद्ध करना होगा। इस शक्ति से हिन्दू का आत्म गौरव, आत्म सम्मान एवं स्वाभिमान जागृत करना होगा, जिससे स्वधर्म एवं स्वदेश की रक्षा होगी।

(शेष अगले अंक में)

राहें

दुखियों को गर्ले से लगाये चला जा स्वयं अपनी राह बनाये चला जा मत देख कि जमाना किधर जा रहा है। उन बन्धनों से छुड़ाये चला जा किये जो जमाने होते अग तक तिरस्कृत उन्हीं को तू अपना बनाये चला जा कटी जिनकी रातें खुले आसमा में उन्हीं को तू हत्यार बनाये चला जा भूखे रहे लिपट रहे स्तनों से उन्हो को तू दाने खिलाये चला जा लहु चूसकर जो सतति हवेली उन्हीं को तू ढोकर लगाये चला जा न पूज ईश्वर न कर अर्चना भी दोनों की हिम्मत बंधाये चला जा

सतीश चन्द गोयल,
बुलन्दशहर

गए हैं (अनुच्छेद 25-30)।

अतः ज भारत में मुसलमानों को विश्व के किसी इस्लामी राज्य से भी कहीं ज्यादा अधिकार व सुविधाएँ प्राप्त हैं। ऐसे विशेषाधिकार भी उन्हें तब दिए गए हैं, जबकि मुसलमान न सैक्यूलरिज्म में विश्वास नहीं रखते हैं। वे भारत को सैक्यूलर राज्य केवल इसलिए

भारतीय संविधान अक्षुण्ण था, अक्षुण्ण रहेगा

सुभाष कश्यप

पिछले वर्ष 25 नवम्बर को संसद के शीतकालीन सत्र में 'संविधान दिवस' मनाया गया। सरकार द्वारा संविधान में बदलाव लाने की आशंका पर विपक्ष ने अनावश्यक हो-हल्ला मचाया। प्रतिष्ठित संविधान विशेषज्ञ और छह दशक से अधिक से संसद को नजदीक से देखने वाले पूर्व लोकसभा महासचिव पद्मभूषण डॉ. सुभाष कश्यप से संविधान की महत्ता और प्रासंगिकता पर पांचजन्य के सहयोगी संपादक सूर्य प्रकाश सेमवाल ने विस्तृत बातचीत की। यहाँ प्रस्तुत हैं—बातचीत के प्रमुख अंश—

सूर्य प्रकाश सेमवाल—संविधान के अवसर पर संसद के अंदर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस विषय पर चर्चा के दौरान अपने वक्तव्य में भारतीय संविधान को लोकतंत्र की आत्मा माना है और विश्व के किसी भी संविधान से इसे श्रेष्ठ बताया है। आप संविधान को किस रूप में देखते हैं?

सुभाष कश्यप—सर्वप्रथम मैं प्रधानमंत्री और भारत सरकार को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने 25 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में पूरे दो दिन केवल संविधान पर चर्चा का वातावरण उपस्थित किया। साथ ही यह भी चाहूँगा कि केवल संविधान दिवस मनाने और इस पर चर्चा से अधिक आवश्यकता इस बात की है कि हमारे प्रयत्नों और सहायता से समाज और देश में विद्यमान भयंकर सांविधानिक निरक्षरता दूर हो। आज भी हमारे यहाँ 66 प्रतिशत लोग नहीं जानते कि संविधान क्या है, नागरिकों का दायित्व क्या है, उनके अधिकार क्या हैं? उनको किस प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त हैं? और जिस तंत्र से वे शासित हो रहे हैं, उसकी ताकत क्या है? जब तक सांविधानिक साक्षरता नहीं होगी, तब तक लोकतंत्र के ऊँचाई को छूने का दावा आत्मा है, लेकिन यदि देश को और जनता को

इसका लाभ नहीं मिलता तो यह निष्प्रभावी है।

वास्तव में संविधान के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने के व्यापक प्रयास होने चाहिए। किसी भी देश का संविधान ही उस देश के नागरिकों की कार्यप्रणाली को व्यक्त करता है। संविधान की उद्देशिका में स्पष्ट है कि भारत के लोग कैसा तंत्र कैसा शासन और किन उद्देश्यों के लिए प्रतिबद्ध हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से राज्य के तीन अंगों—विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के आपसी संबंधों को परिभाषित और परिसीमित किया गया है। आज के संबंध में तो यह और भी महत्वपूर्ण है। कोई भी अंग सार्वभौम संप्रभुता से युक्त नहीं है। संप्रभुता केवल भारत के लोगों अथवा जनता में ही निहित है। कोई भी एक अंग अकेला प्रभावी नहीं है। संसद भी नहीं और उच्चतम न्यायालय तक भी नहीं....

सर्वोच्च न्यायालय अपने क्षेत्र में उच्चतम हो सकता है। इसी प्रकार लोकतंत्र में सांसद भी सम्प्रभु नहीं हैं। ये सभी जनता के हित में अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। संविधान लोकतंत्र की आत्मा इसलिए भी है, क्योंकि भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बहुत बड़ी शक्ति है। देश में चाहे कितने भी मत-पन्थ सम्प्रदाय क्यों न हो, कितना भी वैचारिक भेद क्यों न हो, फिर भी नागरिकों के मूल कर्तव्य एक समान हैं।

प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है कि वह देश के संविधान का अनुसरण करे और संविधान द्वारा स्थापित आदर्शों और संस्थानों का आदर करे। यदि लोग इस बात को जानेंगे ही नहीं, मूल कर्तव्यों को समझेंगे ही नहीं तो फिर देश की आत्मा को कैसे जानेंगे? इसलिए देश की आत्मा को जानने के लिए संविधान साक्षरता और

लोकजागरण अत्यंत आवश्यक है।

प्र.—आज बदलते परिप्रेक्ष्य में वैश्विक वातावरण में कई क्षेत्रों में परिवर्तन दिखाई पड़ रहे हैं। भारत में भी समय के साथ कई चीजें बदली हैं। संविधान में यदि कुछ जोड़ने-घटाने की बात आती है तो क्या यह गलत है? **उ.—**संविधान साधन है, साध्य नहीं। उसमें निहित उद्देश्यों की, जनता की, सम्प्रभुता की, राष्ट्र की रक्षा, जनहित इत्यादि के लिए ही उपयोग किया जाता है। समय के साथ जनमन की आवश्यकताएँ और समाज की अवस्थाएँ बदलती हैं। संविधान में संशोधन का प्रावधान है। लगभग 900 से अधिक संशोधन हो चुके हैं और आवश्यकता होने पर और भी संशोधन हो सकते हैं।



संविधान में बदलाव भी इसी नजरिए से अपेक्षित है। प्रधानमंत्री ने स्वयं संविधान को बदलने की बात को खारिज कर सुधार की गुंजाइश को नहीं नकारा है। भारत में संविधान में बदलाव का मतलब पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल की तरह पुराने को बदलकर नया लागू करना बिल्कुल नहीं है। भारतीय संविधान 65 वर्षों से सुरक्षित और अक्षुण्ण रहा है और आगे भी यह अक्षुण्ण रहेगा, इसे सभी जानते हैं। बदलाव का शोर मचाना शुद्ध राजनीतिक प्रश्न है। इस सत्य को सामान्य व्यक्ति भी जानता है कि सत्ताधारी दल के पास राज्यसभा में बहुमत का अभाव है। इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता। और तो और

संविधान संशोधन भी संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए कानून बनाने हेतु दोनों सदनों में बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी।

प्र.—पहले भी और अब भी कई बार विपक्ष द्वारा सदन की कार्रवाई में कई दिनों तक अवरोध पैदा किया जाता रहा है। संवैधानिक दृष्टि से आप इसे क्या कहेंगे? क्या जनप्रतिनिधियों अथवा राजनीतिक दलों का कोई नैतिक दायित्व स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं है?

उ.—लोकसभा का हर सदस्य लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। उसे अपनी बात रखने का संवैधानिक अधिकार है। इसी प्रकार राज्यसभा के सदस्य भी अपने राज्य के मुद्दों को उठाने के लिए स्वतंत्र हैं। यह वस्तुतः

से कई विषयों पर बात करने से परहेज नहीं करती थी। संसदीय प्रणाली में पक्ष-विपक्ष दोनों के लिए ही साथ मिलकर देश का कार्य बढ़ाने का विधान है। बड़े परिप्रेक्ष्य में संसदीय लोकतंत्र के लिए ऐसी स्वस्थ परंपरा बड़ी ताकत है। विपक्ष के नेता को जो सम्मान और सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं, वे इसी विधान के तहत निर्दिष्ट हैं।

प्र.—देश में कुछ दिनों से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित होने और सहिष्णुता बढ़ने की बात कुछ सेकुलर लोग कह रहे हैं। सब कुछ सामान्य रहने की स्थिति में भी संविधान दृष्टि से क्या यह उचित है?

उ.—वास्तव में यह बात सही है अभिव्यक्ति बाधित तब होती है, जब सरकार की ओर से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई रोक हो। देश में सर्वत्र अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है। ऐसे में तो प्रश्न उठने ही नहीं चाहिए। आपातकाल ही ऐसा समय था, जब इन अवधारणाओं का प्रयोग प्रासंगिक माना जाता था। बाकी जो हो रहा है, वह केवल राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि प्रत्येक राजनीतिक दल अपने हिसाब से वोट बैंक का गणित चलाता है। इस पर मुझे ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी है।

प्र.—देश के संविधान में 'सेकुलर' शब्द नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया और हिन्दी अनुवाद में इसके स्थान पर 'पंथ-निरपेक्ष' शब्द का प्रयोग हुआ है। क्या संविधान में अलग से सेकुलर शब्द जोड़ना जरूरी था। संविधान के संदर्भ में यह शब्द क्या दर्शाता है?

उ.—संविधान सभा ने बहुत विचार-विमर्श और बहस के बाद संविधान का निर्माण किया था। उनकी मान्यता यह थी कि आने वाली भावी पीढ़ियों को किसी 'इज्म' या 'वाद' से न बाँधा जाए। इसलिए उस समय जब सेकुलर पर चर्चा हुई, संशोधन

दुर्भाग्यपूर्ण है।

Minority must have its say, majority must have its say. ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों को बोलने न दें और अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों को कोई निर्णय न लेने दें। संसदीय लोकतंत्र में पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों का ही समान महत्व है। दुर्भाग्य से हमारे देश में ऐसी परंपरा चल पड़ी है कि जो दल प्रतिपक्ष में होता है, सरकार को न चलने देना वह अपना अधिकार मान बैठता है। सत्ताधारी दल प्रतिपक्ष को अछूता मानता है। कांग्रेस ने इस परम्परा को ज्यादा बढ़ाया। जबकि सबसे बड़े दल भाजपा को वह अछूत मानती थी और छोटे-छोटे दलों



कहो गर्व से, हम हिन्दू हैं



प्रतिष्ठा में,

श्री नरेन्द्र मोदी जी,
माननीय प्रधानमंत्री,
भारत सरकार, साउथ ब्लॉक,
नई दिल्ली-११००११

विषय : चीन की बढ़ती दादागिरी की रोकथाम के उपाय।

महोदय,

निवेदन है कि चीन की विस्तारवादी नीति के प्रमाण तो सन् १९५० से ही मिलने लगे थे, जब चीन ने तिब्बत में घुसपैठ आरंभ की थी और तत्कालीन राजनेताओं की अदूरदर्शिता के कारण न केवल पूरे तिब्बत पर चीन ने अनाधिकृत कब्जा जमा लिया बल्कि हिन्दुस्थान की भी लद्दाख में ३८,००० वर्ग कि०मी० भूमि पर अपने पंजे गड़ा दिए और एक सड़क भी बना ली। उस काल के दूरदर्शी महापुरुषों ने जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और वीर सावरकर जी ने चीन की धृष्टता और विस्तारवाद के विरुद्ध बार-बार चेतावनियाँ दी थीं, किन्तु हमारे देश के शासकों ने चीन की कुनीति की निरंतर अनदेखी की। परिणाम सामने है। सन् १९६२ की चीन की अशिष्टता और घुसपैठ से भी कांग्रेसी राजनीतिबाजों ने कुछ विशेष नहीं सीखा।

बाद में चीनी सामान की घुसपैठ देश में बढ़ती गई और कुछ अदूरदर्शी नेताओं ने तिब्बत पर चीन के अधिकार को वैधता का प्रमाण-पत्र भी दे दिया। इस संबंध में यह भी अत्यंत कारगर कदम सिद्ध होगा कि चीन को भारी झटका देने के लिए अगले ३-४ महीनों के लिए चीन का सामान पूरी तरह देश में आने से रोक दिया जाए। हो सकता है कि इससे चीन को कुछ समझ में आ जाए। इसके साथ-साथ तिब्बत के संबंध में हुई गलती का मार्जन भी कर लिया जाए और घोषणा की जाए कि तिब्बत पर चीन का कब्जा अनुचित है और तिब्बत स्वतंत्र देश था और रहना चाहिए। विश्वास है कि आपकी पैनी दृष्टि इस मामले में दूरगामी परिणाम देगी।

सादर

भवदीय

(चन्द्रप्रकाश कौशिक)
राष्ट्रीय अध्यक्ष

(मुन्ना कुमार शर्मा)
राष्ट्रीय महासचिव

(वीरेश त्यागी)
राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री

प्रतिष्ठा में,

श्रीमती सुषमा स्वराज जी
माननीया विदेश मंत्री,
भारत सरकार, साउथ ब्लॉक,
नई दिल्ली-११००११

विषय : पाकिस्तान व बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा जुल्म।

महोदय,

द हिंदू अमेरिका फाउंडेशन ने पाकिस्तान और बांग्लादेश, मलेशिया में हिंदुओं के मानवाधिकारों का भारी पैमाने पर उल्लंघन होने का मामला उठाया है। संस्था की रिपोर्ट के अनुसार हिंदू महिलाओं को जुल्मों का शिकार होना पड़ रहा है।

भारत सरकार से अनुरोध है कि इस मामले को शीघ्र संयुक्त राष्ट्रसंघ सहित अन्य अनेक मंचों पर लगातार उठाते रहने की व्यवस्था करें। विश्वास है कि आप इस बारे में गौर करने की कृपा करेंगे। इस संबंध में की गई कार्रवाई की जानकारी भिजवाने का कष्ट करें।

सादर

भवदीय

(चन्द्रप्रकाश कौशिक)
राष्ट्रीय अध्यक्ष

(मुन्ना कुमार शर्मा)
राष्ट्रीय महासचिव

(वीरेश त्यागी)
राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री

जरा फिर सोचिए और स्वयं इन प्रश्नों के उत्तर खोजिए...

1. विश्व में लगभग 52 मुस्लिम देश हैं, एक मुस्लिम देश का नाम बतायें जो हज के लिए सब्सिडी देता हो?
2. एक मुस्लिम देश बताइये जहाँ हिन्दुओं के लिए विशेष कानून है। जैसे कि भारत में मुसलमानों के लिए है?
3. किसी एक देश का नाम बताइये, जहाँ 85% बहुसंख्यकों को "याचना" करनी पड़ती है, 15% अल्पसंख्यकों को संतुष्ट करने के लिए?
4. एक मुस्लिम देश का नाम बताइये, जहाँ का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री गैर-मुस्लिम है?
5. किसी 'मुल्ला' या 'मौलवी' का नाम बताइये, जिसने आतंकवादियों के खिलाफ फतवा जारी किया हो?
6. महाराष्ट्र, बिहार, केरल जैसे हिन्दू बहुल राज्यों में मुस्लिम मुख्यमंत्री हो चुके हैं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मुस्लिम बहुल राज्य "कश्मीर" में कोई हिन्दू मुख्यमंत्री हो सकता है?
7. 1947 में आजादी के दौरान पाकिस्तान में हिन्दू जनसंख्या 24% थी अब वह घटकर 1.7 प्रतिशत रह गई है, उस समय तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (अब आज का अहसान फरामोश बांग्लादेश) में हिन्दू जनसंख्या 30% थी जो अब 7% से भी कम हो गई है। क्या हुआ गुमशुदा हिन्दुओं का? क्या वहाँ (और यहाँ भी) हिन्दुओं के कोई मानवाधिकार हैं?
8. इस दौरान भारत में मुस्लिम जनसंख्या कट्टरवादी है?
9. यदि हिन्दू असहिष्णु हैं तो कैसे हमारे यहाँ मुस्लिम सड़कों पर नमाज पढ़ते रहते हैं? लाउडस्पीकर पर दिन भर चिल्लाते रहते हैं कि "अल्लाह के सिवाय" और कोई शक्ति नहीं है?"
10. सोमनाथ मन्दिर के जोर्णोद्धार के लिए देश के पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए ऐसा गाँधीजी ने कहा था, लेकिन 1948 में ही दिल्ली की मस्जिदों को सरकारी मदद से बनवाने के लिए उन्होंने नेहरू और पटेल पर दबाव बनाया, क्यों?
11. कश्मीर, नागालैण्ड अरुणाचल प्रदेश, मेघालय आदि में हिन्दू अल्पसंख्यक हैं, क्या उन्हें विशेष सुविधा मिलती है?
12. हज करने के लिए सब्सिडी मिलती है जबकि मानसरोवर और अमरनाथ जाने पर टैक्स देना पड़ता है, क्यों?
13. मदरसे और क्रिश्चियन स्कूल अपने-अपने स्कूलों में बाईबल और कुरान पढ़ा सकते हैं तो फिर सरस्वती शिशु मन्दिर में और बाकी स्कूलों में गीता और रामायण क्यों नहीं पढ़ाई जा सकती?
14. गोधरा के बाद मीडिया में जो हंगामा बरपा, वैसा हंगामा कश्मीर के चार लाख हिन्दुओं की मौत और पलायन पर क्यों नहीं होता?

हिन्दुत्व विज्ञान की आध्यात्मिक व्याख्या है

शेष पृष्ठ 1 का सूडान में तैनात भारतीय शांतिरक्षकों.....

बल कमांडर जनरल फ्रैंक मुशो कमांजी ने हाल में पुरस्कार दिया था। एक मीडिया विज्ञप्ति के अनुसार उन्हें पुरस्कार देते हुए जनरल कमांजी ने समूचे क्षेत्र में गश्त लगाने और २५०० असैनिकों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने में उनके योगदान को स्वीकार किया। इन लोगों ने बोर में संयुक्त राष्ट्र असैनिक संरक्षण स्थल में पनाह मांगी है। जनरल कमांजी ने कहा मैं जोंगलेई में उनके आदेश को लागू करने में भारतीय बटालियन का उनके साहस और पेशेवराना अंदाज के लिये शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। अखिल भारत हिन्दू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश कौशिक, राष्ट्रीय महासचिव मुन्ना कुमार शर्मा एवं राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री वीरेश त्यागी ने कहा है कि भारतीय शांति रक्षक दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं।

शेष पृष्ठ 9 का भारतीय संविधान अक्षुण्ण.....

आए तो इसी आधार पर उसे अमान्य कर दिया गया था। हमारे संविधान में पहले से ही सब जगह सर्वधर्म समभाव की व्यापक अवधारणा को प्रतिपादित किया गया है। सभी धर्मों-मत-पंथों को एक समान माना गया है और राज्य का अपना कोई स्वतंत्र धर्म नहीं होगा, यह संविधान में निर्दिष्ट है तो सेकुलर अवधारणा को जोड़ने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है।

हमारे संविधान में धर्म, जाति, क्षेत्र, प्रांत, भाषा और लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नागरिकों के बीच में न करने का कड़ा प्रावधान है। तो फिर सेकुलर निरर्थक ही हो जाता है। सेकुलर शब्द की उद्देशिका में आवश्यकता बताई गई और ४२वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया। बेशक संविधान के अंदर अनुच्छेद २५ में सेकुलर शब्द पहले से था, लेकिन वहाँ अर्थ ऐसा नहीं था।

वर्तमान समय में 'सेकुलर' अवधारणा पर विवाद नितांत अनर्गल लगता है। इसे राजनीतिक कारणों से उठाया जा रहा है। सेकुलर शब्द को रखने अथवा इसे ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। लोगों को सांविधानिक अवधारणा समझाने की बहुत आवश्यकता है। जनजागरण से संविधान सममत कार्य ही होंगे और जनता में निहित लोकतंत्र की शक्ति और ज्यादा जीवन्त हो सकेगी।

साप्ताहिक हिन्दू सभा वार्ता**विशेषतायें जो अन्यत्र नहीं मिलतीं**

1. पत्रकारिता के उच्च राष्ट्रनिष्ठ मानकों के लिए प्रतिबद्धता
2. राष्ट्र और हिन्दुत्व को हानि पहुँचाने वाले कारकों पर पैनी दृष्टि
3. साम्प्रदायिक और पृथक्तावादी सोच पर जमकर प्रहार
4. राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर पारदर्शी चर्चा
5. सामाजिक सरोकारों की तह तक जाकर समाधानपरक बहस
6. प्रेरक प्रसंग, महान् व्यक्तियों से प्रेरणा लेने का माध्यम
7. भ्रष्टाचार, अपराध और अन्तर्राष्ट्रीय चिंतन पर तीखा आक्रमण

हमारा संकल्प

1. हम एक ऐसी समतामुलक राष्ट्रीय व्यवस्था के पक्षधर हैं जहां निर्धनता का अभिशाप न हो, किसी का शोषण न हो, न्याय वनपशुओं की चेरी न बने, सब समान हों, एक दूसरे के सहयोगी हों।
2. हम एक ऐसी संस्कृतिक व्यवस्था के पक्षधर हैं जिसमें हिन्दुत्व के सार्वभौमिक और सार्वकालिक सिद्धांतों को प्रतिष्ठित किया जा सके, जिससे कि हिंसा, पाप, शोषण, विषमता और संवेदनहीनता की कालिमा से विश्व को मुक्ति मिले।

केवल इतना ही नहीं, अन्य भी बहुत सी जीवनोपयोगी सामग्री।

आपका साप्ताहिक, आपकी भावनाओं का दर्पण।

-: तत्काल ग्राहक बनें :-**सदस्यता शुल्क**

वार्षिक.....150/- रुपये
द्विवार्षिक.....300/- रुपये
आजीवन सदस्य.....1500/- रुपये

ड्राफ्ट या मनीआर्डर

“हिन्दू सभा वार्ता” के नाम भेजें।

पता :- हिन्दू महासभा भवन, मंदिर मार्ग, नई दिल्ली-110001

नोट :- केवल स्थानीय चैक स्वीकार किये जाते हैं।

शेष पृष्ठ 7 का भारत की धर्मनिरपेक्षता.....

कट्टरता है जिसकी परिणति दंगा और द्वेष है। उसे कुचला जाना चाहिए। धर्म, भाषा, जाति या साम्प्रदायिकता का प्रयोग लाभ चुनाव से रोका जाए तो नतीजा अच्छा निकल सकता है। इस तरह के द्वेष को वोटों का माध्यम नहीं बनने दिया जाए। क्या इस नकली धर्मनिरपेक्षता का पुनर्चिन्तन होगा? या फिर बिना सोचे-समझे इससे चिपके रहेंगे फलस्वरूप वही द्वेष, दंगा फसाद का वातावरण बनाए रखेंगे।

शेष पृष्ठ 12 का गणतंत्र देश में जरूरी है समान.....

१९६३ ई. में इस मुद्दे पर बातचीत के लिए केन्द्र सरकार के मुस्लिम मंत्रियों तथा सांसदों की एक बैठक में कहा गया कि सरकार को मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार के लिए कोई पहल नहीं करनी चाहिए। यह कार्य मुस्लिम समुदाय पर छोड़ देना चाहिए। कट्टरपंथी मुल्ला-मौलवियों का यह दावा सर्वथा निराधार है कि मुस्लिम शरहा रसूल इस्लाम हजरत मोहम्मद के निर्देशों पर आधारित है इसलिए इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

संसार में ऐसे ७६ देश हैं जिनमें मुस्लिम शासन है। इनमें से केवल दो-तीन को छोड़कर सभी में शरीयत कानूनों में संशोधन किया जा चुका है। तुर्की जैसे कट्टरपंथी मुस्लिम देश में सन् १९९८ में राष्ट्रपति कलाम अतातुर्क ने बहुपत्नी प्रथा को मुस्लिम महिलाओं का उत्पीड़न करने वाली बताकर पाबंदी लगा दी थी।

अनेक मुस्लिम देशों में चोरी के आरोपियों के हाथ काट डालने जैसे कानून पर रोक लगाई। भारत में तीन बार तलाक-तलाक कहकर पत्नी के तलाक दे दिए जाने की प्रथा का विरोध हुआ। सन् १९८५ तक मुस्लिम महिलाओं का भारतीय दंड संहिता की धारा १२५ के तहत अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार था।

इंदौर की ६२ वर्षीया शाहबानो नामक पठान महिला को उसके वकील पति ने ३० साल के विवाहित जीवन के बाद सन् १९७८ में तलाक दे दिया। सन् १९८५ में न्यायालय ने उसके पति को मासिक भत्ता देने का आदेश दिया। बस इसी आदेश पर कट्टरपंथी मुल्ला-मौलवियों ने बावेल मचा डाला।

शुरू से संसद में प्रधानमंत्री राजीव गाँधी की सहमति से कांग्रेस के सांसद आरिफ मोहम्मद खान ने न्यायालय के आदेश का समर्थन करते हुए शाहबानो को गुजारा भत्ता दिए जाने को उचित बताया। कट्टरपंथी मुस्लिम सांसदों तथा अन्य राजनीतिक दलों ने गुजारा भत्ता दिए जाने का विरोध शुरू कर दिया।

कहा गया कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा १२५ मुसलमानों के पर्सनल लॉ के विरुद्ध है, इसे हटाया जाए। सैयद शहाबुद्दीन जैसे कट्टरपंथी सांसदों ने भी शाहबानो के निर्णय का विरोध किया।

मुल्ला-मौलवियों के दबाव में तथा मुस्लिम वोटों के लालच में राजीव गाँधी की सरकार ने सन् १९७९ में एक विधेयक पारित कर तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को पूर्व पतियों से गुजारा भत्ता पाने के अधिकार से ही वंचित कर दिया। मुसलमानों को उनके अपने कानून के नाम पर चार-चार विवाह करने की छूट है। भारत में जहाँ मुसलमान जनसंख्या बढ़ाकर इसका लाभ उठा रहे हैं वहीं अनेक हिन्दू दूसरा विवाह करने के लिए इस्लाम स्वीकार करने को बाध्य हो रहे हैं।

हाल ही में प्रस्तुत किए गए देश के कुछ राज्यों के जनसंख्या वृद्धि के आंकड़ों ने राष्ट्रभक्तों को चौंका डाला है। मुसलमानों तथा ईसाइयों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। यदि यही दुष्चक्र जारी रहा तो भारत में हिन्दू अल्पसंख्यक हो जाएंगे तथा मुसलमानों की संख्या बढ़ते ही एक नए पाकिस्तान (इस्लामिस्तान) की माँग उठ खड़ी होगी।

प्रखर सांसद श्री विजयकुमार मल्होत्रा ने संसद में आंकड़े देकर देश की अखण्डता के लिए खतरा बने जनसंख्या असंतुलन की ओर संसद का ध्यान आकर्षित कराया था। सेकुलरिस्ट दल उसके बावजूद न समान आचार संहिता बनाने के विषय को गंभीरता से लेने को तैयार हैं न बंगलादेशियों की घुसपैठ के खतरे को गंभीरता से ले रहे हैं। एक तरफ गैर हिन्दुओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है दूसरी ओर बंगलादेशी घुसपैठिए राजधानी दिल्ली तक अड्डे बनाकर हिन्दुओं को चुनौती दे रहे हैं। इस खतरे को गंभीरता से न लेने का घातक परिणाम पूरे राष्ट्र को भुगतना होगा।

यह भी सच है

गणतंत्र देश में जरूरी है समान नागरिक संहिता लागू करना

शिवकुमार गोयल

स्वाधीन भारत में संविधान लागू हुए 66 वर्ष से ज्यादा बीत चुके हैं, किन्तु अभी तक हमारे शासक न राष्ट्रभाषा हिन्दी को उचित स्थान दिला सके हैं न समान नागरिक आचार संहिता लागू की जा सकी है। 'सेकुलर' राष्ट्र घोषित होने के बावजूद प्रत्येक नागरिक के लिए समान आचार संहिता लागू न किया जाना घोर शर्मनाक है। यू.पी.ए. सरकार ने पिता की सम्पत्ति में पुत्री को समान अधिकार देने वाले विधेयक को पारित किया था किन्तु इसे भी मुस्लिमों पर लागू नहीं किए जाने का निर्णय लिया गया है। देश के कट्टरपंथी मुसलमान नेता स्पष्ट घोषणा करते रहते हैं कि वे अपने सामाजिक नियमों में सरकार का दखल स्वीकार नहीं करेंगे। वे कई-कई बार विवाह कर सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण के सिद्धान्त को वे मानने को तैयार नहीं हैं।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

देश के स्वाधीन होने के बाद यह आवश्यक था कि देश के प्रत्येक नागरिक के लिए समान आचार संहिता लागू की जाए। संविधान के अनुच्छेद 84 में कहा गया था कि सरकार को प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान आचार संहिता लागू करनी चाहिए किन्तु जब कभी समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रश्न खड़ा होता है, मुस्लिम व ईसाई वोटों के लालची कांग्रेस तथा अन्य कथित सेकुलर दल मुल्ला-मौलवियों के स्वर में स्वर मिलाकर इसका विरोध शुरू कर देते हैं। 23 जुलाई 2003 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामले में निर्णय देते हुए कहा कि यह अत्यन्त दुःख की बात है कि स्वाधीनता के इतने समय बाद भी संविधान के नीति-निर्देशक सिद्धान्तों के तहत आने वाले अनुच्छेद 84 पर अमल नहीं हो सका है। उच्चतम न्यायालय का मानना है कि समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए संसद को कानून बनाना चाहिए क्योंकि इससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय के इस महत्वपूर्ण निर्णय के आते ही 'ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड' तथा कट्टरपंथी मुल्ला-मौलवियों ने बावेला मचाना शुरू कर दिया कि मुसलमान इसे स्वीकार नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा शर्मनाक बात तो यह है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी तथा कम्युनिस्ट पार्टियों ने भी सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का विरोध किया। एक ओर कांग्रेस तथा तथाकथित प्रगतिशील राजनीतिक दल यह मानते रहे हैं कि मुस्लिम निजी कानून महिलाओं के साथ भेदभाव करते रहे हैं। किन्तु जब उन कानूनों में परिवर्तन का मुद्दा आता है तो वे नेता मुस्लिम वोटों के लालच में सुधार का विरोध करने में शर्म महसूस नहीं करते।

देश के स्वाधीन होने के बाद संसद में हिन्दू कोड बिल लाया गया। इसके अंतर्गत हिन्दू समाज में विवाह के बाद विवाह होने पर तलाक को वैध करार दिया गया। धर्म संघ के मंच में स्वामी करपात्री जी महाराज ने हिन्दू कोड बिल का घोर विरोध किया। तमाम शंकराचार्य तथा अन्य धर्माचार्य भी इसके विरोधी थे। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद भी मानते थे कि हिन्दू समाज में तलाक जैसी परिवार को तोड़ने वाली प्रवृत्ति नहीं अपनाई जानी चाहिए। उन्होंने हिन्दू कोड बिल पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसी के विरोध की चिन्ता न कर हिन्दू कोड बिल को पारित कराकर ही दम लिया। दूसरी ओर नेहरू जी जैसे धर्मनिरपेक्षता के प्रबल समर्थक कभी यह साहस नहीं दिखा पाए कि मुस्लिम कोड बिल पारित कराकर मुसलमानों में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों का निराकरण कर सकें।

८ नवम्बर १९४७ को संविधान सभा की बैठक में जेड.एन. लारी और हुसैन इमाम ने मुस्लिमों के लिए किसी भी तरह का कानून बनाने का विरोध किया था। अपने को कम्युनिस्ट तथा प्रगतिशील बताने वाले हसरत मोहानी तक ने कहा था—“यदि कोई बदलाव करने का प्रयास किया तो मुस्लिमों के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ेगा।” सन् १९६१ में नेहरू जी ने मिश्र, ट्यूनिशिया तथा पाकिस्तान में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में किए गए संशोधन के तहत कानून मंत्रालय में अपने सुझाव देने को कहा। इस सम्बन्ध में सरकार ने राव समिति का गठन भी करा दिया। जमीयत-अल-उलेमा, जमाते-इस्लामी तथा अन्य मुस्लिम संस्थाओं ने इस पर बावेला मचाना शुरू कर दिया। जुलाई सन्

शेष पृष्ठ 11 पर

कबिरा खड़ा बजार में

गरीबी नहीं, गरीब हटाने में जुटी भाजपा



पंजाब और केरल के उपचुनाव में जनता ने भाजपा को जवाब दिया है। जनता ने बताया कि जो अच्छे दिनों का सपना जो उन्हें दिखाया जा रहा है, वह टूटने लगा है। जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। भाजपा ने 20१४ में सत्ता संभालने के साथ देश की जनता को नित्य नये-नये सपने दिखाने लगी। लोगों को बताया कि काला धन देश में वापस आयेगा। लोगों को लगा कि भाजपा के आते ही भ्रष्टाचार देश में नहीं बचेगा। लेकिन ऐसा कतई नहीं हुआ। लोग अपनी परेशानी मोदी जी तक पहुंचाने में हर संभव कोशिश में लगे रहे। मोदी जी उनके निराकरण पर कोई ध्यान नहीं दिया। बस अपने मन की बात ही थोपते रहे। चुनाव दर चुनाव जनता भाजपा को नकार रही है। इस बात का हमारे प्रधानमंत्री को भी आभास है। जैसे ही उनको जनता के नाराज होने की खबर मिलती है। उसी क्रम में वह मन की बात बताने की गति भी बढ़ा देते हैं। अब तो लोग ऊब चुके हैं। यहाँ तक कि जब नोटबंदी योजना लागू की गयी तब भी तमाम दिक्कतों के बावजूद लोग मोदी के साथ अच्छे दिन आने की उम्मीद से खड़े रहे। यू.पी. में विधानसभा चुनाव के दौरान भी उसी बहुसंख्यक वर्ग ने सारे बंधनों को तोड़कर मोदी के हाथों को मजबूती देने के लिये उन्हें प्रचंड बहुमत से विजयी बना दिया। पिछले तीन सालों से मोदी ने जो कुछ किया सब में बहुसंख्यक जनता ने आंख मूंदकर उनका साथ दिया और विरोधियों की जुबान में ताला लगा दिया गया। मोदी की एक जुबान पर लोगों ने लाखों करोड़ों बैंक खाते जनधन योजना में खोलवा दिये थे क्योंकि लोगों को विश्वास था कि मोदी जी इन खातों में कुछ पैसा जमा करके अच्छे दिन आने की शुरुआत करेंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिसके पास जो हजार दो हजार रुपए थे वह भी अपने बैंक खाते में जमा कर दिया था। अब तक बैंक हमारे पैसे की बदौलत अपना व्यवसाय करती थी और बदले में अपने खाताधारकों को ब्याज देती थी। कोई सर्विस टैक्स नहीं लिया जाता था और कोई बंधेज नहीं थी। अच्छे दिन के इंतजार में बैठी मोदी भक्तों की फौज को आज बुरे दिन दिखाई देने लगे हैं। नोटबंदी के बाद बैंक ने इतने नये नियम बना दिये हैं कि बैंक और उपभोक्ता के बीच ग्राहक भगवान के सम्बंध नहीं रह गये हैं और वह लुटेरे की भूमिका अदा करने लगा है। आजकल बैंक जाने पर अच्छे दिनों की याद ताजा हो जा रही है क्योंकि बैंक में नया कानून लागू हो गया है कि दो हजार रुपए से कम धनराशि खाते में होने पर डेढ़ सौ रुपए कटौती कर ली जायेगी। आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिनके लिये दो हजार रुपए दो लाख के बराबर होते हैं। लोग अपना पेट काटकर अपने बुरे समय के लिये बैंक में पैसा इसलिए जमा करते हैं कि जरूरत पड़ने पर ब्याज सहित उन्हें मिल जायेगा। अब स्थिति मूलधन बचाने की आ गयी है। अब तक लोग हजार दो हजार रुपए लगाकर अपने बाल बच्चों का पालन कर लेते थे उन्हें उसके लिये कोई लायसेंस नहीं लेना पड़ता था लेकिन जीटीएस लागू होने के बाद कोई भी धंधा बिना लायसेंस के नहीं हो पायेगा। डिजिटल इंडिया खराब बात नहीं है लेकिन डिजिटल इंडिया बनाने के लिये नागरिकों का डिजिटल योग्य बनाना होना आवश्यक है। जिस देश में आज भी शिक्षा की दर साठ पार न कर सकी हो उस देश में डिजिटल इंडिया लागू करने का मतलब चालीस फीसदी जनता को खंदक में ढकेलने जैसा है। पहले की तरह आज भी थाना तहसील ब्लाक जिला पर रिश्वत का बोलबाला रहता है फर्क इतना है कि पहले खुल्लम खुल्ला था अब थोड़ा छिपकर आंख बचाकर होता है। मोदी जी की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम भ्रष्टाचारियों का भले ही कुछ न बिगाड़ सके लेकिन गरीबों के लिये अभिशाप बनती जा रही है। मोदी जी अगर अपनी रफ्तार में यूं ही चलते रहे तो गरीबी मिटे या न मिटे, लेकिन गरीब जरूर मिट जायेगा।

वीरेश त्यागी

E-mail : viresh.tyagi@akhilbharathindumahasabha.org

